सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड -I)

2019-20

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2019-20

हिमाचल प्रदेश सरकार

खण्ड-I

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-I	
▪	भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-vii)
▪	वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका (प्रस्तावना)	(ix-xiv)
1	वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी	4-8
	अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3	प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-12
4	व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	13-16
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	17-20
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	21-24
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	25-26
8	सरकार के निवेशों की विवरणी	27
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	28
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	29-31
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	32
12	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	33-36
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	37-38
▪	लेखाओं पर टिप्पणियां	39-64
	खण्ड-II	
	भाग-I विस्तृत विवरणियां	
14	लघु शीर्षो-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	65-83
15	लघु शीर्षो-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	84-125
16	लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पॅूजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	126-164
17	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	165-176
18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	177-183
19	निवेशों की विस्तृत विवरणी	184-197
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	198-202
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	203-209
22	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	210
	खण्ड-II	
	भाग-II परिशिष्ट	
(I)	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	211-217
(II)	सहायता पर तुलनात्मक व्यय	218-224
(III)	राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	225-253
(IV)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओ का विस्तृत विवरण	254-255
(V)	योजना स्कीम व्यय	256-258
	(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, केन्द्रीय योजना स्कीम)	
	(ख) राज्य योजना स्कीमें	

विषय सूची

विषय		पृष्ठ

खण्ड-II

भाग-II परिशिष्ट

(VI)	राज्य की कार्यांवयन एजैंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	259-267
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	268
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	269
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	270-271
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	272-278
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	279
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	280

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे समाहित है जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है ।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है । इस संकलन के विवरणों (संख्या 8, 9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरणी संख्या 14, 15 एवं 20) और परिशिष्टों (IV, VIII, IX एवं XI) को हिमाचल प्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं । परिशिष्ट VI को महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से तैयार किया गया है ।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं । मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ । लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है । इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है । ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाऐं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है ।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें । लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है ।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2019-20 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं ।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय,अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं ।

मामले के महत्व

मैं इन लेखाओं की परिशुद्वता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

(i) वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 1,373.77 करोड़ को व्यय शीर्ष 8658-102 उचन्त लेखे (लोक लेखे) के तहत रखा गया, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के ₹ 747.32 करोड़ शामिल है । इस व्यय से सम्बन्धित बिल/वाऊचर दर्शाते है कि विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों द्वारा खजाने से धन निकाला गया और वास्तविक खर्च किये बिना ही सरकारी लेखों के बाहर विभिन्न बचत बैंक खातों में रखा गया। आहरण व संवितरण अधिकारियों/खजानों द्वारा स्वीकृति आदेश के अलावा वास्तविक व्यय का कोई प्रमाण नहीं दिया गया था । यह हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 183(3)(V) व नियम 184(1) का उल्लंघन है और यह दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है क्योंकि बचत बैक खातों से होने वाला व्यय सरकारी लेखों की निगरानी प्रणाली के दायरे से बाहर है ।

(ii) वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 1,785.36 करोड़ की कुल राशि के 1,399 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जो देय थे, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा, 30 विभागों द्वारा प्रदान सहायता अनुदान के एवज में प्रस्तुत नहीं किए गये । इसके अलावा, ₹ 1,062.58 करोड़ की कुल

राशि के 1,083 उपयोगिता प्रमाण पत्र जोकि वर्ष 2018-2019 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2020 तक लम्बित है । इस प्रकार, ₹ 2,847.94 करोड़ की राशि के 2,482 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2020 तक प्रस्तुत करने हेतु लम्बित है । इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 2,847.94 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था । लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अत्यधिक विचाराधीनता धन के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरी है ।

उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई है ।

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांकः 26 अप्रैल 2021
स्थानः नई दिल्ली

वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका

क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितयों को दर्शाते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग-Iः समेकित निधिः इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक ऋण, ऋण और अग्रिम (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित) इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं सहायतानुदान व अंशदान। इन तीन ख्ण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - आय व व्यय पर कर, वित्तीय सेवाएॅ इत्यादि। पुजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं । राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - सामान्य सेवाएॅ, सामाजिक सेवाएॅ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान व अंशदान में बांटा गया हैं। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे - राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, समाजिक सेवाएॅ, आर्थिक सेवाएॅ, लोकऋण, ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय समाधान तथा आकस्मिकता निधि को हस्तान्तरण में विभाजित है।

भाग-IIः आकस्मिकता निधिः यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ती किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2019-20 की आकस्मिकता निधि ₹ 5.00 करोड़ है।

भाग-III लोक लेखाः प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है लोक लेखा में जमा किए जाते हैं । लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा मे छः खण्ड जैसेः 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियॉ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं । ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।

3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसेः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्देश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते है, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2020 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियॉ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियॉ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोडकर) लघु शीर्ष स्तर तक लेनन्देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते हैं। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहॉ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है।

6. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः

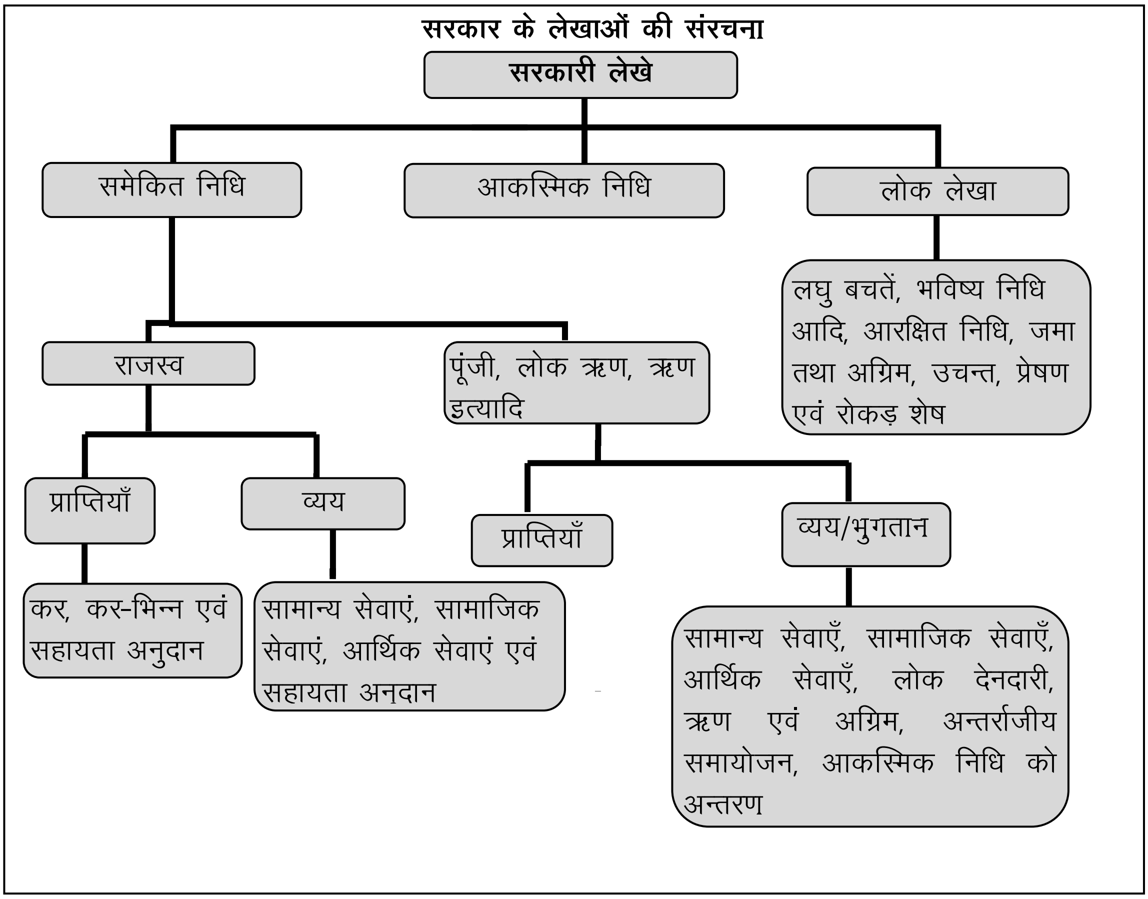

ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतू राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, लेखाओं पर टिप्पणी तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं । खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणीः** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्मपत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।
2. **प्राप्तियों और सवितरणों की विवरणीः** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागोंः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निाधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17,व 18 की समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणीः** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणीः** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य देनदारियों मे, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वार साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों,सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणीः** यह विवरणी साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतू राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणीः** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों

को प्रदत सभी सहायतानुदान को दर्शाती है । परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणीः** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणीः** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये। जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरूआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. **समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सारः** यह विवरणी लेखाओं को सही सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखें के खण्ड-II के दो भाग हैः- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है।
15. **लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतें निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षो में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती हैं।
18. **सरकार द्वार दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी इसी खण्ड के भाग-I में सार विवरणी 7 की समरूपी है।
19. **निवेशों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी वस्तुस्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच विसंगतियां यदि कोई हों, के मुख्य शीर्ष तथा लघुशीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।

20. **सरकार द्वारा प्रदत प्रतिभुतियों का विस्तृत विवरणः** यह विवरणी सरकारी प्रतिभुतियों के वस्तुस्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
22. **चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय मुख्य स्कीम एवं राज्य योजनागत स्कीम के योजनावार व्यय इत्यादि पर **बारह परिशिष्ट सम्मिलित** हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II की विषय सुची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणकः

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोडता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाप	सारांश तालिकाएं (खंड-I)	विस्तृत तालिकाए (खंड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियॉ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	---	III(सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I(वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2,12,13	...	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2,12,13	21, 22	
प्रत्याभूतियां	9	20	

घ. आवधिक एवं बुक समायोजन : लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड़ प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसेः कोषगार, मण्डल इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियॉ (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्तियां/ऋणों/लोक लेखा प्राप्ति को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहॉ

समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणी के अनुबंध (खण्ड-I) एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों में वर्णित है, करते हैं। आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

(1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।

(3) सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहॉ पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, 8011-बीमा और पैंशन निधियां को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है।

(4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहॉ केन्द्रीय ऋणों की माफी को मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ" को जमा एवं मुख्य शीर्ष "6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम" को क्रांट्रा प्रविष्टि करके किया जाता है) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षो को प्रभावित करते हैं।

ङ. पूर्णाकित करना : जहाँ कही भी **₹** 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है वह पूर्णाकित की वजह से है।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूजियाँ [1]	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21		...
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय		21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश		21	9,82.06	1,02.09
(v) भारतीय रिजर्ब बैंक के पास जमा		21	77.93	(-)49.58
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश [2]		…	...	...
पूंजीगत व्यय				
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16 { 8,19	42,61.06	38,48.83
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16 { …	3,98,59.83	3,50,98.15
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)		…	…	...
ऋण तथा अग्रिम		7,18	73,90.50	69,53.33
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम		…	...	...
उचन्त तथा विविध शेष [3]		…	...	...
प्रेषण शेष		…	...	...
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य [4]		…	89,20.62*	89,34.62
जोड़			**6,14,92.19**	**5,48,87.63**

[1]परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1 (ii) भी देखें।

[2]कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूंजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

[3]इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हांलाकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

[4]प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है एवं राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं हैं।

*संचित पूंजीगत प्राप्तियों के कारण विवरणी सख्या-12 से ₹ 45.68 करोड़ की राशि की भिन्नता है। (वर्ष 2017-18 ₹ 34.82, वर्ष 2018-19 ₹ 8.82, वर्ष 2019-20 ₹ 2.04)

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	3,95,27.78	3,53,63.18
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम		...	...	...
आयोजनेतर ऋण		6,17	2.75	3.22
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	10,40.94	10,58.42
अन्य ऋण		6,17	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि (कॉर्प्स)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	1,55,37.13	1,43,49.52
(ii) आरक्षित निधियां		21	27,22.31	3,17.60
(iii) जमा व अग्रिम		21	33,80.30	32,06.58
(iv) प्रेषण शेष		21	6,06.29	5,09.49
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	(-)13,30.44	74.49
व्यय से ऊपर प्राप्ति का समन्वयी आधिक्य ।			...	...
जोड़			**6,14,92.19**	**5,48,87.63**

* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखे

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2019-2020	2018-2019		2019-2020	2018-2019
भाग-I समेकित निधि					
शाखा कः राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**3,07,42.41***	**3,09,50.32**	**राजस्व संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	**3,07,30.43**	**2,94,42.11**
कर राजस्व (राज्य द्वारा) *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**76,23.82**	**75,72.81**	**वेतन**[1] *(विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें।)*	1,14,77.37	1,09,55.94
कर-भिन्न राजस्व *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**25,01.51***	**28,30.07**	सहायता अनुदान[2] *(विवरणी संख्या 4-ख ,10 व परिशिष्ट -III देखें।)*	34,96.22	36,24.07
			सहायता *(परिशिष्ट -II देखें।)*	10,67.78	12,82.60
ब्याज प्राप्तिया *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	2,45.36	3,85.88	**सामान्य सेवाएं**	**1,02,86.67**	**94,61.22**
			पैंशन *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	54,89.75	49,74.77
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	42,34.02	40,21.52
अन्य *(विवरणी संख्या 3-क देखें।)*	22,56.15	24,44.19	'अन्य *(विवरणी संख्या 4-क देखें।)*	5,62.90	4,64.93
संघीय शुल्क/कर के अंश *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**46,77.56**	**54,29.77**	**सामाजिक सेवाएं**	**31,59.90**	**29,82.42**
			आर्थिक सेवाएं	**12,32.22**	**11,26.48**
केन्द्र सरकार से अनुदान *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**1,59,39.52**	**1,51,17.67**	**स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन** *(विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें।)*	**10.27**	**9.39**
राजस्व घाटा(-)	**...**	**...**	**राजस्व आधिक्य**	**11.98***	**15,08.21**
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**2.04**	**8.82**	**पूंजीगत व्यय** *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	**51,73.91**	**45,83.41**
			सामान्य सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	2,03.75	2,27.13
			सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	12,58.40	11,87.22
			आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	37,11.76	31,69.06
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली *(विवरणी संख्या 3,7 व 18 देखें।)*	**21.04**	**21.83**	**ऋणों और अग्रिमों के भुगतान** *(विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)*	**4,58.21**	**4,67.98**
सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	...	...	सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)*	...	...
सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	0.37	0.52	सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-ख व 18 देखें।)*	1.00	2.00
आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	13.21	13.24	आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-ग व 18 देखें।)*	4,50.98	4,58.38
अन्य *(विवरणी संख्या 18 देखें।)*	7.46	8.07	अन्य *(विवरणी संख्या 4-ङ. व 18 देखें।)*	6.23	7.60

[1]सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े जोड़ कर समेकित राशि दर्शाते है। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन , सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है। किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते है। आंकड़े केवल उद्धेश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते है । (आर.ओ.पी. रहित)।

[2]सांवधिक निगम, कम्पनियां, स्वायतः संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है । यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

* इनमें ₹ 2.64 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 71(खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2019-2020	2018-2019		2019-2020	2018-2019
शाखा ख- पूंजीगत					
लोक ऋण प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)*	**1,08,47.39**	**64,27.40**	**लोक ऋण संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)*	**67,00.75**	**46,73.35**
आंतरिक ऋण[3] **(बाजार ऋण; एन एस एस एफ इत्यादि)** ***(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)***	1,07,76.91	63,59.99	**आंतरिक ऋण** [&] **(बाजार ऋण, एन एस एस एफ इत्यादि)** *(विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)*	66,12.32	45,88.28
केन्द्र सरकार से ऋण ***(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)***	70.48	67.41	**केन्द्र सरकार से ऋण** *(विवरणी संख्या 4-क 6व 17 देखें)*	88.43	85.07
अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	…	…	**अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)**	…	…
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 देखें)*	**4,16,12.88***	**3,74,08.37**	**जोड़ समेकित निधि संवितरण** *(विवरणी संख्या 4 देखें)*	**4,30,63.30**	**3,91,66.85**
समेकित निधि में घाटा	**(-)14,50.42**	**(-)17,58.48**	**समेकित निधि में आधिक्य**	…	…
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	…	…	**आकस्मिकता निधि**	…	…
भाग-III लोक लेखा[3]					
लघु बचतें *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**38,34.47**	**37,53.46**	**लघु बचतें** *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**26,46.87**	**26,40.31**
आरक्षित ऋण परिशोध कोष *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**24,04.71**	**5,00.34**	**आरक्षित ऋण परिशोध कोष** *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**...**	**5,07.77**
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें।)	**40,15.45**	**35,18.78**	**जमा (विवरणी संख्या 21 देखें।)**	**38,41.76**	**31,09.86**
अग्रिम *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**44.74**	**61.66**	**अग्रिम** *(विवरणी संख्या 21देखें)*	**44.72**	**61.66**
उचन्त तथा विविध *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**3,74,81.51**	**3,61,27.15**	**उचन्त तथा विविध**[4] *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**3,97,66.41**	**3,55,04.44**
प्रेषण *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**77,35.47**	**74,47.76**	**प्रेषण** *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**76,38.67**	**73,35.52**
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**5,55,16.35**	**5,14,09.15**	**जोड़ संवितरण लोक लेखा** *(विवरणी संख्या 21 देखें)*	**5,39,38.43**	**4,91,59.56**
लोक लेखा में घाटा	**...**	**...**	**लोक लेखा में आधिक्य**	**15,77.92**	**22,49.59**
आदि रोकड़ शेष	**(-)49.58**	**(-)5,40.68**	**अन्त रोकड़ शेष**	**77.93**	**(-)49.58**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**1,27.51**	**…**	**रोकड़ शेष में कमी**	**…**	**4,91.10**

[3] विस्तृत विवरण के लिए विवरणी संख्या 6 व 17 देखें।

[4] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते है। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें।

* विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4(खण्ड-I) पर देखें।

[&] इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹ 5,69.10 करोड़ शामिल है । (पृष्ठ संख्या 21 (खण्ड-I) और (पृष्ठ संख्या 165 (खण्ड-II))

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

		1 अप्रैल 2019 को	31 मार्च 2020 को
		1	2
			(₹करोड़ में)
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष**		
(1)	कोषागारों में रोकड़	…	…
(2)	पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	…	…
(3)	रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	(-)49.58	77.93 (क)
	जोड़	**(-)49.58**	**77.93**
(4)	नगद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश-	1,02.09	9,82.06
	जोड़ (क)	**52.51**	**10,59.99**
(ख)	**अन्य रोकड शेष और निवेश-**		
(1)	विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03
	जोड़(ख)	**0.19**	**0.19**
	जोड़ (क) और (ख)	**52.70**	**10,60.18**

*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह जुलाई 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेन-देन से सम्बद्ध अन्तर्सरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है ।

(क) लेखे में दर्शाए ₹ 77.93 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ₹ 60.65 करोड़ (जमा) में ₹ 17.28 करोड़ (नामे) का अन्तर है, 31 जुलाई 2020 तक मिलान के उपरान्त यह ₹ 0.18 करोड़ (नामे) के अन्तर से बढ़कर ₹ 17.46 करोड़ (नामे) हो गया है ।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) नगदी तथा नगदी तुल्यमानः- नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया हैं।

(ख) दैनिक नगदी शेषः- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजैंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिमः- राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01.02.2016 से ₹ 5,50.00 करोड़ थी। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा की सीमा में संशोधन किया जाता है।

* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2020 का, परन्तु (जुलाई 2020) को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2020 का दैनिक शेष नहीं है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

वर्ष 2019-20 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार हैः-

(i)	कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	327
(ii)	साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	25
(iii)	विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	…
(iv)	उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	…
(v)	जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	13

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 14 दिन के खजाना बिलों को 114 अवसरों पर ₹ 3,26,43.59 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 189 अवसरों पर ₹ 3,17,63.62 करोड़ रिडिस्काउंट किया और 91 दिन के खजाना बिलों को 1 अवसर पर ₹ 11,84.16 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 1 अवसर पर ₹ 11,84.16 करोड़ रिडिस्काऊंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् हैः-

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को आदि शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान खरीद	वर्ष 2019-20 के दौरान बिक्री	31मार्च 2020 को अतंशेष	वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज वसूली
1	2	3	4	5	6
भारत सरकार के खजाना बिल	1,02.09*	3,38,27.75	3,29,47.78	9,82.06	55.02
जोड़	**1,02.09**	**3,38,27.75**	**3,29,47.78**	**9,82.06**	**55.02**

* पिछले वर्ष के आंकड़ों के मिलान के कारण प्रारम्भिक शेष में बदलाव।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2018-19
क	**कर राजस्व**		
क 1	**निजी कर राजस्व**	**76,23.82**	**75,72.81**
	राज्य माल एंव सेवा कर(एस जी एस टी)	35,50.34	33,42.68
	राज्य आबकारी	16,60.02	14,81.63
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	11,69.53	11,85.43
	वाहनों पर कर	4,65.53	4,08.01
	अन्य	4,10.01	7,91.74
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,59.58	2,50.55
	माल एवं यात्री कर	1,04.03	1,04.38
	भू-राजस्व	4.79	8.39
क 2	**कर निवल आगमों का अंश**	**46,77.56**	**54,29.77**
	निगम कर	15,94.86	18,88.31
	केन्द्रीय माल एंव सेवा कर(सी जी एस टी)	13,27.34	13,40.15
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	12,49.68	13,90.66
	सीमा शुल्क	2,96.49	3,84.89
	संघीय उत्पाद शुल्क	2,06.16	2,55.78
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-	2.96	2.80
	सम्पति कर	0.07	0.69
	एकीकृत माल एंव सेवा कर(आई जी एस टी)	…	1,07.00
	सेवा कर	…	49.66
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	…	9.83
	जोड़- क कर राजस्व	**1,23,01.38**	**1,30,02.58**
ख	**कर-भिन्न राजस्व**		
	विद्युत	10,21.68	11,34.34
	लाभांश एवं लाभ	2,48.44	1,81.92
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,46.30	2,21.05
	ब्याज प्राप्तियां	2,45.36	3,85.88
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2,38.59	2,14.59
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	83.61	76.32
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	67.07	62.13
	पुलिस	55.28	72.89
	लोक निर्माण कार्य	53.51	69.92
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	49.65	51.34
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.79	9.61
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	24.79	12.02
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13.36	8.52
	सड़कें एवं पुल	12.44	80.72
	लेखन सामग्री और मुद्रण	12.04	11.30
	पैंशन और अन्य सेवा निवृति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलिय	12.02	27.60
	लोक सेवा आयोग	8.65	13.86
	फसल कृषि-कर्म	8.48	10.94
	श्रम और रोजगार	7.80	7.99
	उद्योग	7.30	8.69
	सहकारिता	6.84	24.65
	शहरी विकास	6.62	4.29

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक		
		2019-20		2018-19
ख	**कर-भिन्न राजस्व**			
	पर्यटन	5.89		1.33
	विविध सामान्य सेवाएं	5.17	*	20.76
	आवास	3.55		3.64
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.52		5.18
	मत्स्य पालन	3.16		3.38
	सूचना और प्रचार	2.41		2.08
	सिविल पूर्ति	2.08		0.07
	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.89		0.93
	मुख्य सिंचाई	1.36		0.12
	पशुपालन	0.98		1.18
	लघु सिंचाई	0.84		0.84
	सड़क परिवहन	0.64		0.38
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.63		0.53
	जेल	0.23		0.29
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.21		...
	मध्यम सिंचाई	0.15		0.07
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.11		0.18
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.03		98.37
	आपूर्ति और निपटान	0.03		0.13
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.02		0.01
	पौधारोपण	0.01		0.01
	परिवार कल्याण	(-)0.02		0.03
	जोड़ -ख कर-भिन्न राजस्व	**25,01.51**	**	**28,30.07**

* पृष्ठ संख्या 71 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखे।

** पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

II -भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2019-20	2018-19
ग	**सहायता अनुदान एवं अशंदान**		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	**49,15.06** *	40,10.49
ग-7	वित्त आयोग अनुदान	86,17.82	88,31.25
ग-8	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान /अन्य अन्तरण	24,06.64	22,75.93
	जोड़ -ग सहायता अनुदान एवं अंशदान	**1,59,39.52**	**1,51,17.67**
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	**3,07,42.41** **	**3,09,50.32**

* इनमें ₹ 6,44.95 करोड़ वर्ष 2019-20 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है। पृष्ठ संख्या 80 (खण्ड-II)

** पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण		वास्तविक	
			2019-20	2018-19
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**			
	विनिवेश प्राप्तियाँ		…	…
	अन्य		2.04	8.82
	जोड़ घ पूंजीगत प्राप्तियां		**2.04**	**8.82**
ड.	**लोक ऋण**			
	आन्तरिक ऋण प्राप्तियां		**1,07,76.91**	**63,59.99**
		बाजार ऋण	65,80.00	42,10.00
		भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम[1]	34,43.68	14,95.93
		बांड	…	…
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,53.23	6,54.06
		राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	…	…
		अन्य ऋण	…	…
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम		**70.48**	**67.41**
		आयोजनेतर ऋण	…	0.04
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	70.48	67.37
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	…	…
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	…	…
		अन्य ऋण	…	…
	जोड़ ड.-लोक ऋण		**1,08,47.39**	**64,27.40**
च	**राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)***		**21.04**	**21.83**
छ	**अन्तर्राज्यीय समाधान**		…	…
समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)			**4,16,12.88 ****	**3,74,08.37**

*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड- II देखें ।

** विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-5 (खण्ड- I) देखें ।

1 डब्ल्यू.एम.एः अर्थोपाय अग्रीम

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**	**3,62.02**	**...**	**...**	**3,62.02**
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	41.53	...	...	41.53
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति /राज्यपाल/ संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	7.21	...	...	7.21
	मन्त्री परिषद	15.87	...	...	15.87
	न्याय प्रशासन	2,06.64	...	...	2,06.64
	निर्वाचन	90.77	...	...	90.77
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**	**2,87.49**	**0.08**	**...**	**2,87.57**
	भू-राजस्व	1,73.77	...	...	1,73.77
	स्टाम्प और पंजीकरण	19.64	...	...	19.64
	राज्य उत्पाद शुल्क	7.26	...	...	7.26
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	35.27	...	...	35.27
	वाहनों पर कर	2.62	...	...	2.62
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	0.37	...	...	0.37
	पदार्थो और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	47.48	...	...	47.48
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.08	0.08	...	1.16
क.3	**ब्याज भुगतान**	**42,34.01**	**...**	**...**	**42,34.01**
	ब्याज अदायगियां	42,34.01	...	...	42,34.01
क.4	**प्रशासनिक सेवाऐं**	**19,38.05**	**2,03.66**	**...**	**21,41.71**
	लोक सेवा आयोग	21.48	...	...	21.48
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	83.31	...	...	83.31
	जिला प्रशासन	2,10.13	...	...	2,10.13
	कोषागार और लेखा प्रशासन	63.14	...	...	63.14
	पुलिस	11,42.93	62.40	...	12,05.33
	जेल	34.04	...	...	34.04
	आपूर्ति और निपटान	1.48	...	...	1.48
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	27.21	0.42	...	27.63
	लोक निर्माण कार्य	2,37.20	1,24.93	...	3,62.13
	सतर्कता	29.41	...	...	29.41
	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	87.72	15.91	...	1,03.63
क. 5	**पैंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं**	**55,13.63**	**...**	**...**	**55,13.63**
	पैंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	54,89.74	...	...	54,89.74
	विविध सामान्य सेवाएं	23.89	...	...	23.89
	जोड़-सामान्य सेवाएं	**1,23,35.20**	**2,03.74**	**...**	**1,25,38.94**
ख	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, क्रीड़ा, कला अैर संस्कृति**	**61,37.18**	**2,85.69**	**1.00**	**64,23.87**
	सामान्य शिक्षा	60,37.87	2,85.69	1.00	63,24.56
	तकनीकी शिक्षा	62.42	...	...	62.42
	क्रीड़ा और युवा सेवाएं	19.31	...	...	19.31
	कला और संस्कृति	17.58	...	...	17.58
ख.2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	**20,75.06**	**2,31.78**	**...**	**23,06.84**
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	16,61.55	2,31.78	...	18,93.33
	परिवार कल्याण	4,13.51	...	...	4,13.51

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख	**सामाजिक सेवाएं- समाप्त**				
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास**	**14,25.25**	**7,26.77**	**...**	**21,52.02**
	जलापूर्ति, स्वच्छता	9,42.18	5,98.92	...	15,41.10
	आवास	35.73	51.32	...	87.05
	शहरी विकास	4,47.34	76.53	...	5,23.87
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**	**48.07**	**0.39**	**...**	**48.46**
	सूचना तथा प्रचार	48.07	0.39	...	48.46
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण**	**53.57**	**6.16**	**...**	**59.73**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण	53.57	6.16	...	59.73
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण**	**2,70.22**	**...**	**...**	**2,70.22**
	श्रम और रोजगार	**2,70.22**	...	...	**2,70.22**
ख.7	**सामाजिक कल्याण और पोषण**	**20,15.11**	**6.64**	**...**	**20,21.75**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12,28.63	6.64	...	12,35.27
	पोषण	42.49	...	...	42.49
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	7,43.99	...	...	7,43.99
ख.8	**अन्य**	**22.49**	**0.98**	**...**	**23.47**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.84	0.98	...	1.82
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	21.65	...	...	21.65
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1,20,46.95**	**12,58.41**	**1.00**	**1,33,06.36**
ग.	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप**	**21,57.44**	**72.00**	**24.05**	**22,53.49**
	फसल कृषि-कर्म	5,98.15	12.02	...	6,10.17
	मृदा तथा जल संरक्षण	74.12	21.75	...	95.87
	पशुपालन	3,44.76	15.03	...	3,59.79
	डेयरी विकास	22.72	...	...	22.72
	मत्स्य पालन	22.89	6.22	...	29.11
	वानिकी और वन्य प्राणी	4,69.58	13.45	...	4,83.02
	पौधारोपण	1.28	...	...	1.28
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	3,20.66	3.29	...	3,23.95
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,56.25	...	...	2,56.25
	सहकारिता	32.03	0.24	24.05	56.32
	अन्य कृषि कार्यक्रम	15.00	...	...	15.00
ग.2	**ग्रामीण विकास**	**11,99.28**	**13.11**	**...**	**12,12.39**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	35.76	...	...	35.76
	ग्रामीण रोजगार	2,35.72	...	...	2,35.72
	भूमि सुधार	4.16	...	...	4.16
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,23.64	13.11	...	9,36.75
ग.3	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण**	**4,25.92**	**7,35.74**	**...**	**11,61.66**
	मुख्य सिंचाई	9.65	9.07	...	18.72
	मध्यम सिंचाई	12.15	85.00	...	97.15

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग.	**आर्थिक सेवाएं समाप्त**				
ग.3	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण**				
	लघु सिंचाई	3,74.74	2,80.06	...	6,54.80
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	34.93	...	34.93
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	29.38	3,26.68	...	3,56.06
ग.4	**ऊर्जा**	**4,10.62**	**2,54.66**	**4,23.03**	**10,88.31**
	बिजली	4,06.20	2,54.66	4,23.03	10,83.89
	नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	4.42	...	...	4.42
ग.5	**उद्योग और खनिज**	**1,47.46**	**29.95**	**3.90**	**1,81.31**
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,25.95	29.95	...	1,55.90
	उद्योग	11.59	...	...	11.59
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	9.92	...	...	9.92
	उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय				
ग.6	**परिवहन**	**19,09.38**	**24,34.92**	**...**	**43,44.30**
	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइन	...	1,41.58	...	1,41.58
	नागरिक विमानन	14.93	5.34	...	20.27
	सड़कें और पुल	15,45.75	22,05.12	...	37,50.87
	सड़क परिवहन	3,41.11	82.88	...	4,23.99
	अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.09	...	...	0.09
	अन्य परिवहन सेवाएं	7.50	...	...	7.50
ग.7	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**	**14.11**	**...**	**...**	**14.11**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.66	...	...	12.66
	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	1.45	...	...	1.45
ग.8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**	**73.80**	**1,71.38**	**...**	**2,45.18**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	28.74	...	...	28.74
	पर्यटन	20.14	33.69	...	53.83
	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	10.40	...	...	10.40
	नागरिक आपूर्ति	12.25	...	...	12.25
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.27	1,37.69	...	1,39.96
	जोड़ - ग आर्थिक सेवाएं	**63,38.01**	**37,11.76**	**4,50.98**	**1,05,00.75**
घ.	**ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान**				
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	10.27	...	...	10.27
	जोड़-ऋण,सहायता अनुदान और अंशदान	**10.27**	**...**	**...**	**10.27**
ड.	**सरकारी कर्मचारियों को ऋण**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-	...	...	6.23	6.23
	जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	**...**	**...**	**6.23**	**6.23**
च.	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	66,12.32	66,12.32
	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	...	88.43	88.43
	जोड़-लोक ऋण	**...**	**...**	**67,00.75**	**67,00.75**
	जोड़-समेकित निधि व्यय	**3,07,30.43**	**51,73.91**	**71,58.96**	**4,30,63.30**

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2019-20			2018-19			2017-18		
	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
वेतन	1,14,77.37	...	1,14,77.37	1,09,55.94	...	1,09,55.94	1,05,19.04	…	1,05,19.04
पैंशन	54,89.75	...	54,89.75	49,74.77	...	49,74.77	47,08.85	…	47,08.85
मुख्य कार्य	...	45,10.87	45,10.87	...	39,87.95	39,87.95	…	34,13.82	34,13.82
ब्याज	42,34.02	...	42,34.02	40,21.52	...	40,21.52	37,88.22	…	37,88.22
मरम्मत	21,96.31	...	21,96.31	21,24.12	...	21,24.12	20,54.77	…	20,54.77
अन्य प्रभार	15,11.67	...	15,11.67	16,34.92	...	16,34.92	11,62.65	…	11,62.65
सहायता अनुदान	13,24.53*	...	13,24.53	12,03.69	...	12,03.69	12,12.51	…	12,12.51
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	13,37.25	...	13,37.25	15,95.55	0.49	15,96.04	10,09.61	0.49	10,10.10
उपदान	10,67.78	...	10,67.78	12,82.60	...	12,82.60	9,06.79	…	9,06.79
उचन्त	8,87.90	...	8,87.90	13,83.35	...	13,83.35	12,24.50	…	12,24.50
पूंजीगत सम्पति निर्माण के लिए अनुदान	8,44.71	...	8,44.71	8,34.23	...	8,34.23	6,72.48	0.36	6,72.84
सामाजिक सुरक्षा पैंशन	7,25.16	...	7,25.16	5,92.51	...	5,92.51	4,40.99	…	4,40.99
निवेश	...	4,13.76	4,13.76	...	3,17.87	3,17.87	…	2,41.55	2,41.55
उजा प्रभार	3,79.72	...	3,79.72	4,48.34	...	4,48.34	5,99.85	…	5,99.85
सामग्री एवं आपूर्ति	3,23.17	51.82	3,74.99	3,56.34	51.97	4,08.31	3,38.62	50.38	3,89.00
मानदेय	2,96.44	...	2,96.44	2,13.29	...	2,13.29	1,91.60	…	1,91.60
मजदूरी	2,64.86	...	2,64.86	2,54.48	...	2,54.48	2,46.79	…	2,46.79
मुआवजा	6.23	1,98.13	2,04.36	...	1,00.14	1,00.14	…	87.72	87.72
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,64.18	...	1,64.18	1,48.82	...	1,48.82	1,53.41	…	1,53.41
कार्यालय व्यय	1,56.32	...	1,56.32	1,58.39	...	1,58.39	1,97.66	…	1,97.66
मशीनरी व उपस्कर	34.14	60.54	94.68	32.77	1,81.05	2,13.82	53.41	…	53.41
आउट्र सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	74.92	...	74.92	46.12	...	46.12	29.11	…	29.11
लघु कार्य	70.33	...	70.33	72.62	...	72.62	84.10	…	84.10
मोटर वाहन	63.59	...	63.59	46.90	...	46.90	51.77	…	51.77
यात्रा व्यय	48.49	...	48.49	40.96	...	40.96	42.80	…	42.80
अन्य	22.95	...	22.95	28.75	2.07	30.82	24.63	9.91	34.54
विज्ञापन एवं प्रचार	35.85	...	35.85	40.45	...	40.45	35.54	…	35.54
छात्रवृति, वजीफा एवं रियायत	29.57	...	29.57	1,27.58	...	1,27.58	1,86.38	…	1,86.38
किराया,कर एवं उपकर	25.99	...	25.99	28.18	…	28.18	29.50	…	29.50
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाऐं	26.31	...	26.31	21.05	...	21.05	21.57	…	21.57
भूमि	14.65	...	14.65	18.90	...	18.90	17.35	…	17.35
सकल राशि	3,31,34.16	52,35.12	3,83,69.28	3,26,87.14	46,40.62	3,73,27.76	3,00,04.50	38,04.23	3,38,08.73
घटाएं-वसूली	24,03.73	61.21	24,64.94	32,45.03	57.21	33,02.24	29,51.34	48.56	29,99.90
जोड़	**3,07,30.43**	**51,73.91**	**3,59,04.34**	**2,94,42.11**	**45,83.41**	**3,40,25.52**	**2,70,53.16**	**37,55.67**	**3,08,08.83**

*इनमें ₹ 10.27 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-3604) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है ।

टिप्पणीः- कुल सहायता अनुदान ₹ 35,06.49 करोड़,{(सहायता अनुदान ₹ 13,24.53 करोड़ + सहायता अनुदान ₹ 13,37.25 करोड़ (गैर वेतन) + पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान ₹ 8,44.71 करोड़ राजस्व संवितरण)}

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
क.	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**				(₹ करोड़ में)	
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	0.08	0.08	(+)100.00
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	65.67	3,89.29	62.40	4,51.69	(-)4.98
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.41	4.11	0.42	4.53	(+)2.44
4059-	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	1,39.06	12,20.13	1,24.93	13,45.06	(-)10.16
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.99	67.39	15.91	83.30	(-)27.65
	जोड़-क.सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**2,27.13**	**16,80.92**	**2,03.74**	**18,84.66**	**(-)10.30**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ड़, छ, ज)**					
(क)	**शिक्षा, क्रीड़ा, कला अैर संस्कृति का पूंजीगत लेखा**					
4202-	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,26.90	31,44.71	2,85.69	34,30.40	(-)12.61
	जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**3,26.90**	**31,44.71**	**2,85.69**	**34,30.40**	**(-)12.61**
(ख)	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-**					
4210-	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,45.61	18,88.09	2,31.78	21,19.87	(-)32.94
4211-	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
	जोड़-ख (ख)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**3,45.61**	**19,21.31**	**2,31.78**	**21,53.09**	**(-)32.94**
(ग)	**जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-**					
4215-	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4,17.69	58,88.12	5,98.92	64,87.04	(+)43.39
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.47	9,54.02	51.32	10,05.34	(-)30.14
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1.21	99.12	76.53	1,75.65	(+)62,24.79
	जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-	**4,92.37**	**69,41.26**	**7,26.77**	**76,68.03**	**(+)47.61**
(घ)	**सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-**					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.49	9.25	0.39	9.64	(-)20.41
	जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-	**0.49**	**9.25**	**0.39**	**9.64**	**(-)20.41**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)	
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ड़, छ, ज)समाप्त**					
(ड़)	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-**					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	10.15	1,99.99	6.16	2,06.15	(-)39.31
	जोड़- ख (ड़) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**10.15**	**1,99.99**	**6.16**	**2,06.15**	**(-)39.31**
(छ)	**सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-**					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.70	1,16.73	6.64	1,23.37	(-)31.55
	जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-	**9.70**	**1,16.73**	**6.64**	**1,23.37**	**(-)31.55**
(ज)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	2.00	11.17	0.98	12.15	(-)51.00
	जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**2.00**	**11.17**	**0.98**	**12.15**	**(-)51.00**
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**11,87.22**	**1,23,44.42**	**12,58.41**	**1,36,02.83**	**(+)6.00**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)**					
(क)	**कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा**					
4401-	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	8.76	97.18	12.02	1,09.20	(+)37.21
4402-	भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	34.92	4,42.14	21.75	4,63.89	(-)37.71
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.62	1,15.27	15.03	1,30.30	(+)19.10
4404-	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405-	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	41.01	6.22	47.23	(+)70.41
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	11.17	1,47.76	13.45	1,61.21	(+)20.41
4408-	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	3.17	35.82	3.29	39.11	(+)3.79

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)	
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-क्रमशः**					
(क)	**कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा-समाप्त**					
4415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416-	कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	78.17	0.24	78.41	(+)50.00
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
	जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा	**74.45**	**9,77.85**	**72.00**	**10,49.85**	**(-)3.29**
(ख)	**ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा**					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	16.01	42.69	13.11	55.80	(-)18.11
	जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	**16.01**	**42.69**	**13.11**	**55.80**	**(-)18.11**
(घ)	**सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा**					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	2,73.75	9.07	2,82.82	(+)1,00.00
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	59.00	5,72.20	85.00	6,57.20	(+)44.07
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,26.60	21,00.61	2,80.06	23,80.67	(+)23.59
4705-	कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	42.01	2,41.84	34.93	2,76.77	(-)16.85
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	1,37.02	11,23.13	3,26.68	14,49.81	(+)1,38.42
	जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	**4,64.63**	**43,11.53**	**7,35.74**	**50,47.27**	**(+)58.35**
(ड़)	**ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-**					
4801-	विद्युत परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	2,50.00	28,72.39	2,54.66	31,27.05	(+)1.86
	जोड़-ग (ड़) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**2,50.00**	**28,72.39**	**2,54.66**	**31,27.05**	**(+)1.86**
(च)	**उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा**					
4851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	46.43	4,38.67	29.95	4,68.62	(-)35.49
4853-	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858-	अभियांत्रिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859-	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-समाप्त**				(₹ करोड़ में)	
(च.)	**उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा -समाप्त**					
4885-	उद्योगों तथा खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	...
	जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा	**46.43**	**5,15.97**	**29.95**	**5,45.92**	**(-)35.49**
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5002-	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	2,15.02	1,41.58	3,56.60	(+)1,35.97
5053-	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	3.13	94.57	5.34	99.91	(+)70.61
5054-	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय	19,40.98	1,36,29.39	22,05.12	1,58,34.51	(+)13.61
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	80.60	9,28.97	82.88	10,11.85	(+)2.83
5056-	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.18	...	0.18	...
	जोड़-ग (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**20,84.71**	**1,48,68.13**	**24,34.92**	**1,73,03.05**	**(+)16.80**
(ज)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.86	1,48.70	33.69	1,82.39	(-)37.45
5465-	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.29	...	3.29	...
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	1,78.97	11,81.09	1,37.69	13,18.78	(-)23.07
	जोड़-ग(ज)सामान्य आर्थिकं सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**2,32.83**	**13,33.08**	**1,71.38**	**15,04.46**	**(-)26.39**
	जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**31,69.06**	**2,49,21.64**	**37,11.76**	**2,86,33.40**	**(+)17.13**
	सकल योग	**45,83.41**	**3,89,46.98**	**51,73.91**	**4,41,20.89**	**(+)12.88**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सरकार ने वर्ष में 2019-20 सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 1,18.19 करोड़ सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹ 2,95.23 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹ 0.34 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹ 0.04 करोड़ सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 1.48 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹ 0.22 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया और ₹ 0.13 कम किया गया ।

वर्ष ,2017-18,2018-19 और 2019-20 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 35,32.97 करोड़, ₹ 38,48.83 करोड़, तथा ₹ 42,61.06 करोड़, था। उन पर वर्ष, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के अन्त तक क्रमशः ₹ 2,55.58 करोड़, ₹ 1,81.91 करोड़, तथा ₹ 2,48.44 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी[1]

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्रतिशतता कुल दायित्व
क. लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार ऋण	2,36,82.16	65,80.00	21,20.00	2,81,42.16	(+)44,60.00	(+)18.83	45.24
मुआवजा तथा अन्य बाँड	28,90.50	...	...	28,90.50	...	...	4.65
वित्तीय संस्थानों से ऋण	26,93.46	7,53.23	4,79.54	29,67.15	(+)2,73.69	(+)10.16	4.77
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभुतियां	60,97.06	...	5,69.10	55,27.96	(-)5,69.10	(-)9.33	8.89
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	34,43.68	34,43.68	...	...	...	...
जोड़-6003	**3,53,63.18**	**1,07,76.91**	**66,12.32**	**3,95,27.77**	**(+)41,64.59**	**(+)11.78**	**63.54**
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01-आयोजनेतर ऋण							
201-गृह निर्माण अग्रिम	0.23	...	0.06	0.17	(-)0.06	(-)26.09	...
800-अन्य ऋण	2.99	...	0.41	2.58	(-)0.41	(-)13.71	...
जोड़-01	**3.22**	**...**	**0.47**	**2.75**	**(-)0.47**	**(-)14.60**	**...**
02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
101- ब्लाक ऋण	8,20.96	71.66	42.67	8,49.95	(+)28.99	(+)3.53	1.37
105- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	2,37.46	(-)1.18*	45.29	1,90.99	(-)46.47	(-)19.57	0.31
जोड़-02	**10,58.42**	**70.48**	**87.96**	**10,40.94**	**(-)17.48**	**(-)1.65**	**1.67**

[1] विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 165 से 167 (खण्ड- II) देखें।

* 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ऋण माफी/छूट

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2020 को शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्रतिशतता कुल दायित्व
क. लोक ऋण-समाप्त							
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त							
07-1984-85 से पूर्वकालिक ऋण							
102-राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
जोड़-07	**0.13**	**...**	**...**	**0.13**	**...**	**...**	**...**
जोड़-6004	**10,61.77**	**70.48**	**88.43**	**10,43.82**	**(-)17.95**	**(-)1.69**	**1.68**
जोड़-क लोक ऋण	**3,64,24.95**	**1,08,47.39**	**67,00.75**	**4,05,71.59**	**(+)41,46.64**	**(+)11.38**	**65.22**
ख-अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,43,49.53	38,34.47	26,46.87	1,55,37.13	(+)11,87.60	(+)8.28	24.97
सब्याज आरक्षित निधियां	1.00	18,86.65	...	18,87.65	(+)18,86.65	(+)18,86,65.00	3.03
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	3,16.60	5,18.06	...	8,34.66	(+)5,18.06	(+)1,63.63	1.34
सब्याज जमा राशियां	(-)1.41	8,21.27	8,21.51	(-)1.65	(-)0.24	(+)17.02	...
ब्याज रहित जमा राशियां	32,08.52	31,94.18	30,20.25	33,82.45	(+)1,73.93	(+)5.42	5.44
जोड़-ख-अन्य दायित्व	**1,78,74.24**	**1,02,54.63**	**64,88.63**	**2,16,40.24**	**(+)37,66.00**	**(+)21.07**	**34.78**
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**5,42,99.19**	**2,11,02.02**	**1,31,89.38**	**6,22,11.83**	**(+)79,12.64***	**(+)14.57**	**1,00.00**

* चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा से भिन्नता :- वर्ष के दौरान निवल सिविल अग्रिम, उच्चन्त व विविध लेखे, प्रेषण तथा रोकड़ शेष राशी का गणना में न लिया जाना।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्यास्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्धः- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नही किए गए हैं-

2. लघु बचत निधि से ऋणः- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संचित' राशि मे से ऋण जारी करने हेतू एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2019-20 में ₹ 5,69.10 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹ 55,27.96 करोड़ जो 31 मार्च, 2020 तक राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 13.99 प्रतिशत था ।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋणः- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 17 ऋण ₹ 4,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़ , ₹ 5,00.00 करोड़ , ₹ 2,50.00 करोड़, ₹ 2,50.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़ ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 6,60.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़ तथा ₹ 4,20.00 करोड़ क्रमशः 8.02 प्रतिशत, 8.12 प्रतिशत, 7.13 प्रतिशत, 7.05 प्रतिशत, 7.18 प्रतिशत, 6.30 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत, 7.17 प्रतिशत, 7.20प्रतिशत, 7.18 प्रतिशत, 7.11 प्रतिशत, 7.11 प्रतिशत, 6.95 प्रतिशत, 6.95 प्रतिशत, 6.29 प्रतिशत, 6.95 प्रतिशत तथा 7.30 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण अप्रैल 2031, मई 2029, जुलाई 2029, अगस्त 2029, अगस्त 2029, अक्तुबर 2022, अक्तुबर 2029, जनवरी 2030, जनवरी 2035, जनवरी 2032, फरवरी 2028, फरवरी 2030, फरवरी 2033, फरवरी 2034, मार्च 2026, मार्च 2029, तथा मार्च 2030 में विमोच्य है।

6 दीर्घकालीन ऋण अर्थात 8.26 प्रतिशत, 8.22 प्रतिशत, 8.25, प्रतिशत, 8.52, प्रतिशत, 8.38 प्रतिशत तथा 8.26 प्रतिशत की दर से ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 1,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़ ₹ 6,20.00 करोड़ तथा ₹ 7,00.00 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋणः- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते है तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तो के अनुरूप लौटाये जाते है। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 9.96 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋणः- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते है तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तो के अनुसार लौटाये जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 0.13 करोड़ चुकाए गए ।

(घ) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋणः- ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितिओं के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹ 7,00.00 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹ 4,30.10 करोड़ वापिस किए गए ।

(ड.) मुआवजा और अन्य बॉडः- वर्ष के दौरान ₹ 28,90.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना (उदय), हिमाचल प्रदेश विशेष बाँड़ के तहत प्राप्त की गई।

(च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋणः- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते है। वर्ष के दौरान ₹ 53.23 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹ 13.93 करोड़ वापिस किए गए ।

(छ) अन्य संस्थानों से ऋणः- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी, आरिऐण्टल इंश्योरैंस कम्पनी, युनाईटेड इण्डिया इन्श्योरैंस कम्पनी, नैशनल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया, नगर निगम ऋण, हाउसिंग अर्बन डैवेलेपमैंट कॉरपोरेशन, हि0 प्रदेश वन निगम तथा भारतीय जीवन बीमा से ऋण (निगोशिएटेड) आदि दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 25.52करोड़ लौटाए गए ।

(ज) **भारतीय रिजर्ब बैंक से आर्थोपाय अग्रिमः-** रिजर्ब बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों जैसे ₹ 0.55 करोड़ में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 25,15.36 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹ 25,15.36 करोड़ वापिस किए गए। ओवर ड्राफ्ट के रुप मे ₹ 25,15.36 करोड़ की राशि प्राप्त ली गई तथा ₹ 25,15.36 करोड़ वापिस किए गए।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी
व्यास्व्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का उपयोग:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याजः- वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि निम्नलिखित थीः-

	2019-20	2018-19	वर्ष 2019-20 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
		(₹ करोड़ में)	
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	5,61,08.72	5,07,74.50	(+)53,34.22
(ख) अन्य दायित्व	61,03.11	35,24.71	(+)25,78.41
जोड़-(i)	**6,22,11.83**	**5,42,99.21**	**(+)79,12.63**
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	42,34.02	40,21.52	(+)2,12.50
(ख) अन्य दायित्व पर	...	...	…
जोड़ (ii)	**42,34.02**	**40,21.52**	**(+)2,12.50**
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	1,86.00	39.77	(+)1,46.23
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	55.02	66.90	(-)11.88
जोड़ (iii)	**2,41.02**	**1,06.67**	**(+)1,34.35**
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	**39,93.00**	**39,14.85**	**(+)78.15**
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	13.77	12.99	(+)0.78
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	12.99	12.65	(+)0.34

टिप्पणीः- सरकार ने वर्ष के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹ 2,48.44 करोड़ लाभांश के रूप में प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 69 खण्ड- II) देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सारः उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋण समूह	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2020 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2019-20 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	…	…	…	7.57	…	*
शहरी विकास प्राधिकरण	0.01	…	…	…	0.01	…	*
आवासीय बोर्ड	1.16	…	…	…	1.16	…	*
सांविधिक निगम	56,31.97	3,75.93	…	…	60,07.90	3,75.93	*
सहकारी समितियां/ सहकारी बैंक	1,15.82**	24.05	13.14	…	1,26.73	10.91	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.32	…	0.04	…	0.28	(-)0.04	*
सरकारी कर्मचारी	33.08	6.23	7.46	…	31.85	(-)1.23	*
अन्य	11,63.40**	52.00	0.40	…	12,15.00	51.60	*
जोड़-	**69,53.33**	**4,58.21**	**21.04**	**…**	**73,90.50**	**4,37.17**	*****

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण निम्नलिखित मामले है।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2011-12	एचटीसी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2012-13	एचटीसी-एफ(1) 3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2017-18	एचटीसी-एफ(11) 1/2011	8.00	ब्याज रहित

*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियांः ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें (पृष्ठ संख्या 177 से 180 खण्ड-II देखे)

** पिछले वर्ष के आंकडो के मिलान के कारण प्रारम्भिक शेष में बदलाव ।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-2 ऋण एवं अग्रिम का सारांशः क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2019 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2020 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2019-20 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	28.01	1.00	0.38	…	28.63	0.62	*
आर्थिक सेवाएं	68,91.21	4,50.98	13.20	…	73,28.99	4,37.78	*
अन्य सेवाएं	34.11	6.23	7.46	…	32.88	(-)1.23	*
जोड़-	**69,53.33**	**4,58.21**	**21.04**	…	**73,90.50**	**4,37.17**	*

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2020 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिससे बकाया सम्बधित है	31 मार्च 2020 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	…	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	…	1.16	2009-10	1.16
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	14.54	…	14.54	2015-16	60.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	…	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि०	74.75	…	74.75	1987-88	29,77.93
सामान्य वित्तिय संस्थाऐं	0.10	…	0.10	1985-86	0.10
जोड़-	**96.73**	**…**	**96.73**		**30,52.46**

*उपलब्ध नहीं है

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

	प्रतिष्ठान का नाम	2019-20			2018-19		
		प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1	सांविधिक निगम/बोर्ड	6	16,79.05	…	6	16,03.56	…
2	सरकारी कम्पनियां	23	14,19.67	…	21	10,81.74	1.90
3	अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i)	केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	10,98.14	2,47.93	1	10,98.14	1,79.35
(ii)	अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.01	13	0.10	0.01
	जोड़- सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार	**14**	**10,98.24**	**2,47.94**	**14**	**10,98.24**	**1,79.36**
4	सहकारी बैंक	9	13.41	0.14	9	13.44	0.07
5	सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय						
(i)	सहकारी समितियां	17	50.69	0.36	17	51.85	0.58
	जोड़-	**69**	**42,61.06**	**2,48.44**	**67**	**38,48.83**	**1,81.91**

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

क. सांविधिक निगमों,सरकारी कम्पनियों,स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2020 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत गारंटियों को छोडकर)	वर्ष के दौरान प्रदत		वर्ष 2019-20 के अन्त में बकाया	गांरटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (1)*	3,25.00	8,00.00	3,25.00	…	…	…	11,25.00	…	…	…
सहकारी बैंक(1)*	38.52	2,75.11	38.52	72.82	…	…	2,40.81	…	…	…
राज्य वित्तीय निगम (1)*	…	5.80	…	3.20	…	…	2.60	…	…	…
स्थानीय निकाय (1)*	…	4.73	…	0.04	…	…	4.69	…	…	…
अन्य संस्थान (12) *	2,76.18	5,08.14	2,76.18	2,10.35	…	…	5,73.97	0.01	0.01	…
जोड़	**6,39.70**	**15,93.78**	**6,39.70**	**2,86.41**	**…**	**…**	**19,47.07**	**0.01**	**0.01**	**…**

* कोष्ठकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते है।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2019-20			2018-19			2019-20			2018-19		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
(₹ करोड़ में)												
1. पंचायती राज संस्थाए-												
(i) जिला परिषद	1,37.54	...	1,37.54	1,15.14	…	1,15.14	27.30	…	27.30	29.00	…	29.00
(ii) पंचायत समीतियां	21.78	...	21.78	31.01	…	31.01	9.38	…	9.38	24.00	…	24.00
(iii) ग्राम पंचायतें	5,90.39	82.78	6,73.17	4,57.10	1,43.66	6,00.77	4,99.86	1.08	5,00.94	3,69.21	0.71	3,69.92
जोड़-	**7,49.71**	**82.78**	**8,32.49**	**6,03.25**	**1,43.66**	**7,46.92**	**5,36.54**	**1.08**	**5,37.62**	**4,22.21**	**0.71**	**4,22.92**
2. स्थानीय शहरी निकाय												
(i) नगर निगम	62.74	61.43	1,24.17	65.10	66.51	1,31.61	19.13	21.57	40.70	21.32	50.50	71.82
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	2,38.02	47.52	2,85.54	2,51.09	54.96	3,06.05	33.35	33.91	67.26	24.60	46.95	71.55
(iii) *अन्य*	10.26	15.55	25.81	9.38	41.48	50.86	…	…	…	…	…	…
जोड़-	**3,11.02**	**1,24.50**	**4,35.52**	**3,25.57**	**1,62.95**	**4,88.52**	**52.48**	**55.48**	**1,07.96**	**45.92**	**97.45**	**1,43.37**
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
(i) सरकारी कम्पनियां	1.63	...	1.63	19.11	…	19.11	…	…	…	…	…	…
(ii) सांविधिक निगम	1,85.27	10.57	1,95.84	1,52.89	12.40	1,65.29	5.00	7.28	12.28	5.00	7.28	12.28
जोड़-	**1,86.90**	**10.57**	**1,97.47**	**1,72.00**	**12.40**	**1,84.40**	**5.00**	**7.28**	**12.28**	**5.00**	**7.28**	**12.28**
4. स्वायत निकाय												
(i) विश्वविद्यालय	12.88	3,55.36	3,68.24	20.00	3,53.00	3,73.00	…	…	…	…	…	…
(ii) विकास प्राधिकरण	24.66	52.30	76.96	61.47	90.80	1,52.27	15.00	25.96	40.96	15.00	26.34	41.34
(iii) सहकारी संस्थान	7.71	22.44	30.15	19.29	24.36	43.65	…	0.72	0.72	…	0.89	0.89
(iv) अन्य	9.68	1,22.99	1,32.67	84.43	2,77.10	3,61.53	…	58.65	58.65	…	69.41	69.41
जोड़-	**54.93**	**5,53.09**	**6,08.02**	**1,85.19**	**7,45.26**	**9,30.45**	**15.00**	**85.33**	**1,00.33**	**15.00**	**96.64**	**1,11.64**

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2019-20			2018-19			2019-20			2018-19		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
(₹ करोड़ में)												
5. शिक्षा												
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	0.19	4,12.23	4,12.42	0.13	3,64.43	3,64.56	…	…	…	…	…	…
(ii) माध्यमिक शिक्षा	15.47	1,88.16	2,03.63	24.31	1,54.28	1,78.59	…	19.50	19.50	…	…	…
(iii) उच्च शिक्षा	3.73	15.77	19.50	0.91	17.50	18.41	…	…	…	…	…	…
जोड़-	**19.39**	**6,16.16**	**6,35.55**	**25.35**	**5,36.21**	**5,61.56**	**…**	**19.50**	**19.50**	**…**	**…**	**…**
6. अन्य												
(i) वन	...	42.59	42.59	...	15.19	15.19	…	0.38	0.38	…	0.10	0.10
(ii) सामाजिक कल्याण	29.83	3,28.29	3,58.12	25.69	45.19	70.88	…	36.52	36.52	…	3.18	3.18
(iii) विविध	16.84	3,79.89	3,96.73	33.12	6,02.92	6,36.04	1.95	28.19	30.14	1.61	1,39.13	1,40.74
जोड़-	**46.67**	**7,50.77**	**7,97.44**	**58.81**	**6,63.30**	**7,22.11**	**1.95**	**65.09**	**67.04**	**1.61**	**1,42.41**	**1,44.02**
कुल जोड़-	**13,68.62**	**21,37.87**	**35,06.49***	**13,70.17**	**22,63.78**	**36,33.95**	**6,10.97**	**2,33.76**	**8,44.73****	**4,89.74**	**3,44.49**	**8,34.23**

* इनमें ₹ 10.27 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की राशी (मुख्य शीर्ष 3604 पृष्ठ संख्या 119 (खण्ड- II))

** ₹ 8,44.73 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पतियों के निर्माण हेतू (राजस्व व्यय ₹ 8,44.73 करोड़ पृष्ठ संख्या 16 (खण्ड-I)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य		पूंजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य	
1	2		3	
	2019-20	**2018-19**	**2019-20**	**2018-19**
1. पंचायती राज संस्थाए-				
(i) जिला परिषद	...	...	...	...
(ii) पंचायत समीतियां	...	...	...	...
(iii) ग्राम पंचायतें	...	...	...	...
2. स्थानीय शहरी निकाय				
(i) नगर निगम	...	...	...	...
(ii) नगर पालिका/ नगर परिषद	...	...	...	...
(iii) अन्य	...	...	...	...
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
(i) सरकारी कम्पनियां	...	...	...	...
(ii) सांविधिक निगम	...	...	...	...
4. स्वायत निकाय				
(i) विश्वविद्यालय	...	...	...	...
(ii) विकास प्राधिकारण	...	...	...	...
(iii) सहकारी समीतियां	...	...	...	...
(iv) अन्य	...	...	...	...
5. गैर सरकारी संगठन	...	...	...	...
जोड़-	...	...	...	...

टिप्पणीः- वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2019-20			2018-19		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*43,03.65*	2,64,26.78	3,07,30.43	*41,64.65*	2,52,77.46	2,94,42.11
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*16.40*	51,57.51	51,73.91	*10.93*	45,72.48	45,83.41
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अन्तर्राज्यीय बदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	*67,00.75*	4,58.21	71,58.96	*46,73.35*	4,67.98	51,41.33
जोड़	***1,10,20.80***	**3,20,42.50**	**4,30,63.30**	***88,48.93***	**3,03,17.92**	**3,91,66.85**
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं।						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	*66,12.32*	...	66,12.32	*45,88.28*	...	45,88.28
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	*88.43*	...	88.43	*85.07*	...	85.07
च. ऋण और अग्रिम *						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	4,50.98	4,50.98	...	4,58.38	4,58.38
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	...	6.23	6.23	...	7.60	7.60
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	...	...	...	...	...	...
ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण						
आकस्मिक निधि को अन्तरण	...	...	...	...	...	...
जोड़ (क)	***67,00.75***	**4,58.21**	**71,58.96**	***46,73.35***	**4,67.98**	**51,41.33**

(i) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित थी ।

वर्ष	कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2018-19	*22.60*	77.41
2019-20	*25.59*	74.41

* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जानकारी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
सकल पूंजीगत व्यय			
सामान्य सेवायें			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.08	0.08
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,89.28	62.40	4,51.68
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	4.11	0.42	4.53
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	12,20.13	1,24.93	13,45.06
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	67.39	15.91	83.30
जोड़-सामान्य सेवायें	**16,80.91**	**2,03.74**	**18,84.65**
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	31,44.95	2,85.69	34,30.64
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19,21.34	2,31.78	21,53.12
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	69,42.00	7,26.77	76,68.77
सूचना एवं प्रसार	9.25	0.39	9.64
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण	1,99.96	6.15	2,06.11
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1,16.77	6.64	1,23.41
अन्य सामाजिक सेवायें	11.17	0.98	12.15
जोड़-सामाजिक सेवायें	**1,23,45.44**	**12,58.40**	**1,36,03.84**
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	21,58.86	1,33.21	22,92.07
ग्रामीण विकास	42.69	13.11	55.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	48,79.23	7,35.74	56,14.97
ऊर्जा	41,68.23	2,54.66	44,22.89
उद्योग तथा खनिज	5,16.13	29.95	5,46.08
परिवहन	1,49,38.91	24,34.92	1,73,73.83
सामान्य आर्थिक सेवायें	13,33.08	1,71.38	15,04.46
जोड़-आर्थिक सेवायें	**2,80,37.13**	**37,72.97**	**3,18,10.10**
जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय	**4,20,63.48**	**52,35.11**	**4,72,98.59**

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त			
पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	...	0.24
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
जोड़-सामाजिक सेवायें	**0.99**	**...**	**0.99**
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	11,81.02	61.21	12,42.23
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	5,67.69	...	5,67.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	...	70.80
जोड़-आर्थिक सेवायें	**18,19.66**	**61.21**	**18,80.87**
जोड़-पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां	**18,20.65**	**61.21**	**18,81.86**
कुल जोड़- पूंजीगत परिव्यय	**4,02,42.83**	**51,73.90**	**4,54,16.73**
विनिवेश	(-)12,95.85		(-)12,95.85
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6.98	(+)0.93	7.91
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	16.70	(-)0.30	16.40
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.25	…	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.08	…	1.08
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	2,11.76	(+)10.91	2,22.67
ग्रामीण विकास	0.46	(-)0.04	0.42
ऊर्जा	65,97.08	(+)4,23.03	70,20.11

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त			
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
उद्योग तथा खनिज	81.81	(+)3.88	85.69
सामान्य आर्थिक सेवायें	0.10	…	0.10
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	33.09	(-)1.24	31.85
विविध ऋण	1.02	…	1.02
जोड़-ऋण तथा अग्रिम	**69,53.33**	**4,37.17**	**73,90.50**
जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**4,71,96.16**	**56,11.07**	**5,28,07.23**
घटाएं			
विविध पूंजीगत वसूली से अंशदान (विनिवेश)	12,95.85		12,95.85
निवल जोड-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**4,59,00.31**	**56,11.07**	**5,15,11.38**
निधियों के मुख्य स्त्रोत			
राजस्व (+) आधिक्य/(-) घाटा		(+)11.98*	
जमा-विनिवेश के कारण समायोजित राशि	(-)12,95.85	…	(-)12,95.85
ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	3,53,63.18	41,64.59	3,95,27.77
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10,61.76	(-)17.95	10,43.81
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	1,43,49.53	11,87.60	1,55,37.13
जोड़-ऋण	**5,07,74.47**	**53,34.24**	**5,61,08.71**
अन्य प्राप्तियां-			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	3,17.60	24,04.71	27,22.31
जमा तथा अग्रिम	32,06.58	1,73.71	33,80.29

*पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष 2019-20 के दौरान	31 मार्च 2020 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
अन्य प्राप्तियां			
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	74.30	(-)14,04.93	(-)13,30.63
प्रेषण	5,09.49	96.80	6,06.29
जोड़-अन्य प्राप्तियां	**41,12.97**	**12,70.29**	**53,83.26**
जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व	**5,48,87.44**	**66,04.53**	**6,14,91.97**
अन्य प्राप्तियां			
घटाएं- रोकड़ शेष	(-)49.58	(+)1,27.51	(+)77.93
घटाएं- निवेश	1,02.09	(+)8,79.97	9,82.06
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि	...	...	...
निधियों का निवल प्रावधान	**5,48,34.93**	**55,97.05**	**6,04,31.98** (क)

पूंजीगत एवं अन्य परिव्यय तथा निधियों के निवल प्रावधान के प्रगामी आंकड़ो में ₹ 89,66.30 करोड़ अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

1	**राजस्व घाटा**		
(i)	31 मार्च 2019 तक राजस्व घाटा	(-)89,56.51	
(ii)	चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)	(+)11.98*	(-)89,44.53
2	**राशियों का निम्न समाधान**		
(i)	अंतर्राज्यीय समाधान	(-)1.43	
(ii)	कूल राशि का " 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन"	(-)5.00	
(iii)	विविध सरकारी लेखे	(-)7.84	
(iv)	प्रर्फोमा द्वारा कुल राशि का समायोजन	(-)7.50	(-)21.77
	कुल जोड़-		**(-)89,66.30**

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

(क) अथ शेष ₹ 6,04,31.98 करोड़ कम है ₹ 11.98 करोड़ से (राजस्व आधिक्य)।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

(क) 31 मार्च 2020 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
			(₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
	क से घ,छ,ज तथा ठ का भाग	सरकारी लेखा	
5,30,41.48 (क)	(मुख्य शीर्ष 8680 केवल)		
	ड.	**लोक ऋण**	4,05,71.59
73,90.49	च-	**ऋण एवं अग्रिम**	…
	छ-	**आकस्मिकता निधि**	
		आकस्मिकता निधि	5.00
		लोक लेखा	
	झ-	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1,55,37.13
	ञ-	**आरक्षित निधि-**	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां-	18,87.65
		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	
		सकल शेष	8,34.65
	ट-	**जमा और अग्रिम-**	
		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	(-)1.65
		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	33,82.45
		(iii) अग्रिम	(-)0.52
	ठ-	**उचन्त और विविध**	
9,82.06		(i)निवेश	…
		(ii) अन्य मदे (निवल)	(-)13,30.63
	ड-	**प्रेषण-**	
		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	6,12.45
		(ii)अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	(-)6.16
77.93 (ख)	ढ-	**रोकड़ शेष**	…
6,14,91.96			**6,14,91.96**

(क) इन आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख)पृष्ठ संख्या 38 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड. -शेष में शामिल" रिजर्व बैंक के पास जमा" से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकडों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकडों के बीच अन्तर था । इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है । पृष्ठ संख्या 207 (खण्ड-II) पर दी गई पाद-टिप्पणी (क) भी देंखे ।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

ख. सरकारी लेखाः- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है,उन्हें "सरकारी लेखा" नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है।इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षो के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से हैः-

नामे	विवरण	जमा
		(₹ करोड़ में)
4,78,81.59	क- 1 अप्रैल 2019 को सरकारी लेखे में नामे शेष	
	ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	3,07,42.41*
	ग- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	2.04
3,07,30.43	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	...
51,73.91	ड.- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	...
	च- उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	...
	छ- 31 मार्च 2020 को सरकारी लेखों में नामे शेष	5,30,41.48
8,37,85.93	**जोड़**	**8,37,85.93**

टिप्पणीः- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं है जैसा कि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्टरों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे है।

अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते है। अधिकतर मामले में सहमतियाँ प्राप्त नहीं होती ।

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी (खण्ड-I) देखें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारः

(i) लेखाकरण अवधि तथा अस्तित्व

यह लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एंव व्यय के लेखाओं को 18 जिला कोषागारों, 87 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 60 जल शक्ति विभाग द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है । राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वितीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया ।

(ii) लेखाकरण के आधार

कुछ आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन (**अनुबन्ध-क**) के अपवाद सहित, लेखे चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हैं । सरकारी निवेश आदि प्रत्यक्ष परिसम्पतियों एवं वित्तीय परिसम्पतियों को ऐतिहासिक लागत अर्थात अर्जन/खरीद वर्ष के मूल्य पर दर्शाया जाता है । प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित या ऋण परिशोधित नहीं किया जाता है । प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्तिकाल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है ।

चालू वर्ष के दौरान संवितरित किए गए सेवा निवृति लाभांशों सम्बन्धी देयताओं को लेखाओं में दर्शाया गया है, परन्तु सरकार की भविष्य में पैंशन देयताओं अर्थात कर्मचारियों की पिछली एवं वर्तमान सेवाओं से सम्बन्धित सेवा-निवृति लाभाशों की भुगतान-सम्बन्धी देयताओं, को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(iii) लेखाओं को रखने की मुद्रा

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये में रखे जाते हैं ।

(iv) लेखाओं का स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें । अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षो के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है ।

(v) पूंजीगत एवं राजस्व के बीच वर्गीकरण

पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि अर्जन/ उत्पत्ति करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उददेश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है । स्थापना और प्रशासनिक व्यय सहित इकाई को चलाने के लिए और इसकी परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी आवर्ती व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है । भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए भारतीय सरकारी लेखांकन मानक-2 के परिप्रेक्ष्य में सहायता अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तकर्त्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(vi) लेखांकन मानकों की अनुपालना

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार के उद्धेश्य से स0 ले0 म0 स0 बो0 (ग0 स0 ब0) ने लेखांकन की नगद प्रणाली के लिए भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों को तैयार किया है । भारतीय सरकारी लेखांकन मानक संघ और राज्य सरकार के वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है । तदनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से निम्नलिखित तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक अनिवार्य हो गये है ।

(i)सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां-प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताएं (भा.स.ले.मा.-1)

(ii)सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (भा.स.ले.मा.-2)

(iii)सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में (भा.स.ले.मा.-3)

यह पाया गया है कि भा.स.ले.मा.-2 और भा.स.ले.मा.-3 का पूर्ण रूप से अनुपालन नीचे पैरा संख्या 3 (xiii) एवं पैरा संख्या 3 (iv) क्रमशः में किए गये विस्तृत अवलोकनों को देखते हुए नहीं किया गया है ।

(vii) राज्य के नकद शेष

राज्य के नकद शेष मे उसके सभी तीन भागों अर्थात समेकित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते के नकद शेष शामिल होते है । न्यूनतम नकदी शेष को बनाए रखने और नकदी शेष के निवेश सहित आगे की जानकारी विवरणी संख्या 2 (खण्ड-I) के तहत व्याख्यात्मक नोट के कथन में दी गई है ।

2. लेखाओं की गुणवत्ताः

(i) माल एंव सेवा कर (जी0 एस0 टी0)

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य का माल एंव सेवा कर संग्रह वर्ष 2018-19 में ₹ 3,342.68 करोड़ की तुलना में ₹ 207.66 करोड़ की दर्ज बढोतरी (6.21 *प्रतिशत*) के साथ ₹ 3,550.34 करोड़ था । इसमें आई0 जी0 एस0 टी0 का अग्रिम मुल्यांकन राशि ₹ 32.63 करोड़ शामिल था । इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के ₹ 1,327.34 करोड़ को अपने हिस्से के रूप में प्राप्त किया । माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 4,877.68 करोड थी । वर्ष 2019-20 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्य ने ₹ 1,877.33 करोड़ मुआवजा प्राप्त किया ।

(ii) सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी. डी. ओ.) अग्रिम रूप से धन आहरित करने तथा तत्पश्चात समायोजन बिलों को प्रेषित करने हेतु अधिकृत है। राज्य सरकार ने (जून 2017) में छः विभागों युवा सेवाऐं और खेल, आयुर्वेद, स्वास्थय और परिवार कल्याण, अभियोजन, कृषि और बागवानी को सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल संचालन हेतु नामिंत किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के विरूद्ध निकाले गये अग्रिम की पहचान करने व विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी. सी.) के रूप में उनके समायोजन की निगरानी करने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की गई है।

(iii) लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वितीय नियमवाली, 1971 (संशोधित 2009) के नियम-157 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी,) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिये । सरकार द्वारा प्रदत सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षो के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
2017-18 तक	479	469.65
2018-19	604	592.93
2019-20	1,399	1,785.36
कुल	**2,482**	**2,847.94**

* वर्णित वर्ष,देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है ।

वर्ष 2019-20 में ₹ 2,395.16 करोड़ के 13,619 प्रमाण पत्र (वर्ष 2018-19 के ₹ 836.22 करोड़ के 1,324 प्रमाण पत्र और वर्ष 2019-20 के ₹ 1,558.94 करोड़ के 12,295 प्रमाण पत्र) प्राप्त हो चुके है ।

31 मार्च 2020 तक कुल लम्बित ₹ 2,847.94 करोड़ के प्रमाण पत्रों में से, ₹ 2,294.98 करोड़ के 80.58 प्रतिशत प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र, राशि के अनुपात में छः विभागों; पंचायती राज विभाग (₹ 1,171.90 करोड़ के 956 उपयोगिता प्रमाण पत्र), शहरी विकास (₹ 476.19 करोड़ के 166 उपयोगिता प्रमाण पत्र), ग्रामीण विकास (₹ 253.11 करोड़ के 194 उपयोगिता प्रमाण पत्र) कृषि एवं बागवानी (₹ 156.72 करोड़ के 31 उपयोगिता प्रमाण पत्र), आयुष (₹ 122.71 करोड़ के 82 उपयोगिता प्रमाण पत्र), एवं शिक्षा विभाग (₹ 114.35 करोड़ के 46 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से सम्बन्धित थे ।

(iv) व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का अन्तरण

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड-1 नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है । व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है । यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से अनुरोध करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है ।

व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न हैः-

(₹ करोड़ में)

01.04.19 को व्यक्तिगत जमा खातों का अथ शेष		वर्ष 2019-20 के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष 2019-20 के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान संयोजन	इतिशेष 31.03.2020		संचालित लेखे		असंचालित लेखे	
संख्या	**राशि**					**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
112	2.56	शून्य	शून्य	0.61	0.35	112	2.82**	102	2.59	10	0.23*

** 1 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि*

*** कुल ₹ 2.82 करोड़ के व्यक्तिगत जमा खातों में से, ₹ 2.75 करोड़ मुख्य शीर्ष 8443-106 (व्यक्तिगत जमा) तथा शेष ₹ 0.07 करोड़ मुख्य शीर्ष 8448-109 (पंचायती निकायों की निधियां) वित्त लेखों में दर्शाए गए है ।*

(v) प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0)के मध्य प्राप्ति तथा व्यय का मिलान

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/नियन्त्रण अधिकारी (सी.ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है । इस तरह से 100 प्रतिशत मिलान सभी प्राप्तियों ₹ 30,744.45 करोड़ (102 सी.सी.ओ.) एवं व्यय ₹ 35,904.34 करोड़ (102 सी.सी.ओ.) के सम्बन्ध में पूर्ण कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 की साईबर प्राप्तियों का मिलान भी पूर्ण कर लिया गया है ।

(vi) रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

प्रधान महालेखाकार द्वारा दर्शित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित रोकड़-शेष के बीच 31 मार्च 2020 तक ₹ 17.28 करोड़ (नामे) का अन्तर था। वर्ष 2019-20 में प्रधान महालेखाकार द्वारा निकाले गये रोकड़ शेष ₹ 77.53 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतलाए गए रोकड़-शेष ₹ 60.65 करोड़ (जमा) था । 31 जुलाई 2020 तक मिलान के उपरान्त यह ₹ 0.18 करोड (नामे) के अन्तर से बढ़कर ₹ 17.46 करोड़ (नामे) हो गया है ।

पिछले पाच वर्षो में रोकड़-शेष का अन्तर निम्न प्रकार हैं :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रधान महालेखाकार के आंकड़े	भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े	अन्तर
2014-15	739.51 जमा	746.24 नामे	6.73
2015-16	340.76 जमा	352.31 नामे	11.55
2016-17	443.27 जमा	434.67 नामे	8.60
2017-18	540.68 जमा	483.37 नामे	57.31
2018-19	49.58 जमा	45.28 नामे	4.30

टिप्पणी:- कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एजेंसी बैंको पर कोई दंण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया गया है ।

(vii) लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रविष्टि- ''अन्य प्राप्तियां'' तथा ''अन्य व्यय'':-

लघुशीर्ष ''अन्य प्राप्तियां'' तथा ''अन्य व्यय'' का परिचालन केवल तब किया जाता है जबकि लेखाओं में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो अथवा बजट बनाते समय प्राप्ति/व्यय के गलत शीर्ष की पहचान के कारण । लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरूत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है । लेखा के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800- ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों का दर्ज व्यय ₹ 1,275.05 करोड़ (कुल व्यय ₹ 35,904.34 करोड़ की 3.55 *प्रतिशत*) का व्यय वर्गीकृत किया गया है । इसी प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800-''अन्य प्राप्तियों'' के अंतर्गत, संबंद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज प्राप्ति ₹ 1,637.27 करोड़ (कुल प्राप्ति ₹ 30,744.45 करोड़ की 5.33 *प्रतिशत*) वर्गीकृत किये गये हैं । इसी प्रकार प्राप्ति एवं व्यय के अधिकतर भाग (25 *प्रतिशत* या अधिक) को 800- अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण क्रमशः **अनुलग्नक-ख एवं ग** में सूचीबद्ध किए गए हैं ।

3. अन्य मदें

(i) पैंशन लाभ देनदारियाँ

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों पर ₹ 5,023.14 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹ 372.40 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ सम्मिलित हैं) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹ 30,730.43 करोड का 16.35 *प्रतिशत* है ।

15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अशंदायी पैंशन योजना के हकदार है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों (कर्मचारी एंव नियोक्ता) प्रकार के अशंदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342- अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन योजना में जमा किया जाना है । तत्तपश्चात, संपूर्ण राशि को उसी वर्ष में पदनामित पैंशन निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित(एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा हस्तांतरित किया जाता है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342- अन्य जमा-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन स्कीम में ₹ 821.27 करोड़ की कुल राशि (कर्मचारियों का अंशदान : ₹ 349.31 करोड़, सरकार का अंशदानः ₹ 471.91 करोड़ और ब्याजः ₹ 0.05 करोड़) क्रेडिट की गयी । सरकार ने ₹ 821.51 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदानः ₹ 350.29 करोड़ और सरकार का अंशदानः ₹ 471.22 करोड़) राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित में हस्तांतरित किए । यद्यपि, मुख्यशीर्ष 8342-अन्य जमा-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पैंशन स्कीम में ₹ 1.41 करोड़ (2018-19) का प्रतिकूल शेष वर्ष के अन्त में बढ़कर ₹ 1.64 करोड़ (2019-20) हो गया है जिसे राज्य सरकार के साथ मिलान करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में एन. एस. डी. एल. ने सुनिश्चित किया कि वर्ष के दौरान कुल राशि ₹ 821.41 करोड़ जमा की गई थी । राज्य सरकार और एन. एस. डी. एल. के बीच ₹ 0.10 करोड़, का अन्तर मिलान के अन्तर्गत है ।

(ii) मुख्यशीर्ष 3435 के अन्तर्गत पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उद्दिष्ट है । ''पर्यावरण'' ''अपशिष्ट प्रबन्धन'' ''प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण'' ''पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा'' ''पर्यावरण संरक्षण'' आदि सम्बन्धित बजट और व्यय के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वाऊचरों/बजट दस्तावेजों आदि से संकलित किये जाते है ।

पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को विभिन्न कार्यात्मक लेखाओं के अधीन लघुशीर्ष के स्तर तक वित्त लेखे में दर्शाया गया है । सामान्यतः पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यय मुख्यशीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अधीन बुक किये जाते है । वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 3435 - पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अन्तर्गत ₹ 1.45 करोड़ के बजट आबंटन के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹ 1.45 करोड व्यय किया । वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान किया गया प्रत्येक व्यय कुल राजस्व व्यय के क्रमशः 0.01 *प्रतिशत* के नीचे था । हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्तिम तीन वर्षों के वस्तुगत शीर्ष स्तर तक के बजट आबंटन और उसकी तुलना में मुख्य शीर्ष 3435- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अधीन व्यय **अनुबन्ध- च** में दिया गया है ।

(iii) गारंटियाँ

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी-9 में दी गई सूचना राज्य सरकार के 16 साविधिक निगमों/बोर्डो/सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी समिति/बैंको के द्वारा लिए ऋण पर दी गई गारन्टी पर आधारित है । 31 मार्च 2020 के अन्त तक बकाया देनदारियों के विरूद्ध ₹ 1,947.07 करोड़ की गारंटियाँ दी गई । हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित) के अनुसार कुल बकाया गारंटियां चालू वर्ष से पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 40 *प्रतिशत* तक सीमित होनी चाहिए । इस प्रकार बकाया गारंटियां वर्ष 2018-19 की राजस्व प्राप्तियों का 6.29 *प्रतिशत* है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर है ।

(iv) ऋण एवं अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिमों को छोड़ कर जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) रखते हैं को विवरणी 7 व 18 में दिखाई गई अन्य सभी ऋणों एवं अग्रिमों की सूचना राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त की गई है जो इनके लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी है । इन विवरणियों में ब्याज भुगतान के बकाया का ब्यौरा नहीं दिया गया है क्योंकि इस सूचना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 458.21 करोड़ के ऋण विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए गए । राज्य सरकार को वापसी के स्वरूप में ₹ 21.04 करोड़ प्राप्त हुए, इसमें से, ₹ 7.46 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम की वापसी के स्वरूप में तथा ₹ 13.58 करोड़ अन्य बकाया ऋणों की वापसी के रूप में प्राप्त हुए थे । 31 मार्च 2020 तक कुल ऋण ₹ 7,390.50 करोड़. बकाया था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण व अग्रिम की राशि की सम्बन्धित विभागों द्वारा पुष्टि नही की गयी है ।

(v) निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है । लेखाओं के अनुसार 69 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2020 तक ₹ 4,261.06 करोड़ था, जिनमें से ₹ 248.44 करोड़. लाभांश/ब्याज (कुल निवेश का 5.83 *प्रतिशत* है) प्राप्त हुए । इनमें से केन्द्रीय सरकार कम्पनी हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन) में निवेशित ₹ 1,098.14 करोड़ से ₹ 247.93 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ तथा 68 इकाईयों में निवेशित ₹ 3,162.92 करोड़ से केवल ₹ 0.51 करोड़ का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ । यद्यपि, राज्य सरकार से इन आंकड़ों की पुष्टि की आवश्यकता है क्योंकि इन संस्थाओं से आकड़ों का मिलान नहीं किया गया है ।

(vi) माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों की श्रृंखला में 13वें वित्त आयोग वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को माफ कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को मूल राशि और ब्याज की अधिक अदायगी को इस आदेश के प्रभावी रूप से लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से वित्त मंत्रालय को भविष्य में होने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी थी । ₹ 15.58 करोड़ के अधिक भुगतान में से वित्त मंत्रालय द्वारा 2013-14 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹ 10.57 करोड़ , 2018-19 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹ 0.55 करोड़ व 2019-20 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹ 1.19 करोड़ को समायोजित कर दिया गया था । मूल राशि और ब्याज के वर्गीकरण के अभाव के कारण वित्त मंत्रालय के द्वारा शेष ₹ 3.27 करोड़ का अधिक भुगतान समायोजन के लिये लंम्बित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के ऋण खातों में प्रतिकुल शेष तथा लोक ऋण में अधिक विवरण को तब तक दर्शाएगा जब तक कि इन्हें समायोजित या अपलिखित नहीं कर दिया जाता ।

(vii) आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां विशिष्ट उददेश्य के लिए समेकित निधि से योगदान कर बनाई जाती है । विभिन्न आरक्षित/जमा निधि में राज्य सरकार के अंशदान एवं उनकी उपयोगिता पर प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा किए गए बुक-समायोजनों का विवरण **अनुबन्ध-क** में इंगित किया गया है ।

यद्यपि, मुख्य आरक्षित निधियों का अवलोकन निम्न प्रकार हैः

(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियांः

हिमाचल प्रदेश में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ के अन्तर्गत मुख्यतः दो ब्याज वाली आरक्षित निधियां है (i) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और (ii) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि, जिनमें 31 मार्च 2020 तक कुल जमा राशि ₹ 1,887.65 करोड़ थी ।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों के संदर्भ में निधि में निहित शेष राशि से अथवा वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुई निधि से कोई भी निवेश नहीं किया गया है ।

(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां

हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः तीन ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ है (i) औद्योगिक विकास निधि (ii) विद्युत विकास निधि और (iii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि । 31 मार्च 2020 तक इन निधियों में जमा राशि ₹ 834.66 करोड़ थी । इन तीन निधियों में से पहली व दूसरी मुख्य शीर्ष 8229-विकास और कल्याण निधियों में हैं तथा तीसरी निधि 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों में है ।

प्रमुख आरक्षित निधियों की स्थिति इस प्रकार हैः-

(क) समेकित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोंग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संचालित करना था। आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था । यह निधि स्वैच्छिक है । राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन अभी तक नहीं किया गया।

(ख) गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था । यह निधि भी स्वैच्छिक है । यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया ।

(ग) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि

(i) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओला वृष्टि, भूस्खलन, हिम स्खलन, बादल फटने आदि से पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए खर्च को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया है ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करने की आवश्यकता है । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति को राज्य लेखे में मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 07- वित आयोग अनुदान 104- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में योगदान की कुल राशि (केन्द्रीय भाग व राज्य भाग) के हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि -101-आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण में उचित बजट प्रावधान करेगी । केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति पर राज्य सरकार अपने हिस्से के साथ, राशि को मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे ब्याज वहन आरक्षित निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित करेगी । राहत कार्यो पर हुए वास्तविक खर्च मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत केवल सम्बन्धित उप/लघु शीर्ष में ही लिए जायेगे ।

वर्ष 2019-20 में केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 197.23 करोड़ का अपना हिस्सा जारी किया । राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गलत प्रयोग करने के कारण ₹ 61.07 करोड़ की राशि को केन्द्र सरकार द्वारा रोक लिया गया । हालाँकि राज्य सरकार ने ₹ 21.91 करोड़ (₹ 197.23 करोड़ पर) के बजाए ₹ 258.30

करोड़ पर (₹ 197.23 करोड़ + ₹ 61.07 करोड़ पर) ₹ 28.70 करोड़ अपना पूर्ण हिस्सा जारी किया । ₹ 225.93 करोड़ (₹ 197.23 करोड़ + ₹ 28.70 करोड़) की पूर्ण राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि- 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में हस्तांतरित कर दी गयी है । बाद में सम्पूर्ण राशि को विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत खातों में हस्तांतरित कर दिया गया और व्यय के रूप में भी दर्ज किया गया । यद्यपि, कोई भी वाउच्रर/ उप वाउच्रर नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बचत खातों में धन का हस्तातंरण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था ।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में अव्ययित बकाया निधि विशेष प्रयोजनों में ही निवेश की जानी चाहिए । राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर छः माही आधार पर ओवर ड्राफट (भारतीय रिजर्व बैंक के जारी दिशा निर्देशों के अधिनियम) पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान करने की भी आवश्यकता है । तथापि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अव्ययित बकाया राशि को न निवेश किया और न ही अनिवेशित राशि पर कोई ब्याज का भुगतान किया ।

अनिवेशित राशि पर 31 मार्च 2019 (वर्ष 2019-20 में 7.49 प्रतिशत की औसत दर से अर्थोपाय अग्रिम लिया) को निधि में रखी हुई ₹ 1.00 करोड़ की अनिवेशित राशि पर ₹ 0.07 करोड की राशि ब्याज के रूप में अनुमानित थी । राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान न अव्ययित बकाया राशि को निवेश किया और न ही अनिवेशित राशि पर कोई ब्याज का भुगतान किया । ₹ 0.07 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की अधिकता और राजकोषीय घाटे में कमी आयी है ।

(ii) भारत सरकार द्वारा चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सुनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना, कीट हमला, शीत लहर व पाला आदि प्राकृतिक आपदायें गम्भीर प्रवृत्ति की मानी गयी है और राज्य द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की आवश्यकता में एन. डी. आर. एफ. से तत्काल राहत सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करेगी । राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रावधान के अनुसार एन. डी. आर. एफ. से निधियों की प्राप्ति पर राज्य सरकार उसे मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में लेगी । राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की प्राप्ति के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए राज्य सरकार मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-80-सामान्य-103- एन. डी. आर. एफ. से राज्यों को सहायता के तहत उपर्युक्त बजट प्रावधान करेगी । राज्य के एस. डी. आर. एफ. लेखे एन. डी. आर. एफ. से सहायता की प्राप्ति को पृथक रूप से दिखाने चाहिए । एन. डी. आर. एफ. से निधि की प्राप्ति पर राज्य लोक लेखा में शीर्ष 8235- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत तत्काल हस्तांतरित करेगा । एन. डी. आर. एफ. से किए गए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245 में सम्बन्धित लघुशीर्ष के तहत लिखे जाने चाहिए ।

2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने एन. डी. आर. एफ. के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 518.06 करोड़ प्राप्त किये जिसे शीर्ष 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत लोक लेखे में हस्तांतरित कर दिया गया । बाद में सम्पूर्ण राशि को विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया गया । आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में धन का हस्तांतरण राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था ।

(viii) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 5-1/2009- एफ. सी. दिनांक 28-04-2009 के द्वारा जारी निर्देशों और 2 जुलाई, 2009 के दिशा निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकारों को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता है जो क्षतिपूरक वनीकरण, प्राकृतिक पुर्नजनन में सहायता, वनों के संरक्षण व सुरक्षा, आधारिक संरचना विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा और अन्य सम्बन्धित गतिविधियाँ तथा इससे सम्बन्धित अथवा इसके अलावा आकस्मिक मामलों के लिए प्राप्त राशि और एकत्रित धन का प्रशासन करेगा । इस उद्धेश्य के लिए प्राधिकरण राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा ।

लेखांकन की व्यवस्थाः-

राज्य सरकार उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को राज्य के लेखे में मुख्य शीर्ष 8336- सिविल जमा के नीचे लघुशीर्ष तक ब्याज वहन खण्ड के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' में जमा करने की आवश्यकता होती है । क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के खण्ड 3(4) के तहत, निधि का 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखा में मुख्यशीर्ष 8121- सामान्य व अन्य रिजर्व निधि में स्थानांतरित किया जाना है और शेष 10 *प्रतिशत* वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाये बशर्तें कि निधि का 10 *प्रतिशत* केन्द्रीय हिस्सों का क्रेडिट मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाये ताकि वह राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित हो । '8336- सिविल जमा' के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' और '8121- सामान्य और अन्य रिजर्व निधि' के अन्तर्गत 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष' में उपलब्ध शेष राशि पर लागू ब्याज की दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर घोषित के अनुसार होगी ।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थिति-

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार से ₹ 1,660.72 करोड़ प्राप्त किये जिसे मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि के अन्तर्गत जमा किया गया । राज्य सरकार द्वारा निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ix) राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर

(क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरः भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (उपकर अधिनियम) के द्वारा भवन एवं अन्य निर्माण में जुटे श्रमिको की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण व नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन के बारे में उल्लेख किया गया है । भारत सरकार द्वारा उपकर अधिनियम की धारा 14 के उपखण्ड 1 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम-1998 (उपकर नियम) बनाऐ गये । इसी अधिनियम के अनुरूप हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 बनाया गया तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना मार्च 2009 में की गई ।

उपकर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता जोकि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से सम्बन्ध रखता है सरकार उससे उपकर वसूलेगी जोकि कुल राशि के एक *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा। इसी तरह धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि एकत्रित उपकर की राशि राज्य लेखांकन प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित चालान द्वारा बोर्ड को हस्तांतरित की जायेगी ।

यह पाया गया है कि श्रमिक कल्याण लेखों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई नियम नही बनाये है और श्रमिक उपकरों के संग्रह की बुकिंग के लिये सरकार द्वारा उपशीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया है । श्रमिक उपकर को निर्माण की लागत के एक *प्रतिशत* की दर से सडक और भवन/जल शक्ति विभाग द्वारा लगाया जा रहा है और 8443-सीविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण में जमा किया जा रहा है । जब तक सार्वजनिक निर्माण जमा उपशीर्ष न खुला हो, एकत्रित उपकर की राशि, और श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि, और शेष राशि का हस्तांतरण निर्धारित लेखाकंन नियमों की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड एक स्वायत्तशासी निकाय है, इसलिए सरकारी लेखे में उपकर के ब्यौरे उपलबध नहीं होते हैं । हालाँकि, राज्य के लोक निर्माण और जल शक्ति मण्डलों द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 32.56 करोड़ एकत्रित किए गए तथा ₹ 29.17 करोड़ बोर्ड को 8443-सिविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण से श्रमिक उपकर के सम्बन्ध में प्रेषित किए गये ।

(ख) हिमाचल प्रदेश परिवहन अवसंरचना निधिः इस निधि का सृजन हि0प्र0 मोटर वाहन कर अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक बार के कर पर 10 *प्रतिशत* और अन्य करों पर 5 *प्रतिशत* अधिभार लगाकर किया जाएगा । वर्ष के दौरान ₹ 13.93 करोड़ सग्रहित किये गये और मुख्यशीर्ष 0041-00-102-08 में जमा किये गये। राज्य सरकार द्वारा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी लेखा प्रक्रिया नहीं बनाई गई है ।

(ग) हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधिः सड़क दुर्घटना मृत्यु को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने राज्य सरकार को सड़क सुरक्षा निधि स्थापित करने के निर्देश दिये है जोकि अव्यपगत होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यातायात उल्लंधनों से एकत्र किये गये जुर्माने/चक्रवृद्धि शुल्क के महत्वपूर्ण हिस्से के विचलन से उपार्जित निधि के धन का एक स्थिर प्रवाह हो । निधि केवल बजटीय आबंटनों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए जो सरकार की वित्तीय बाधाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने निदेशक, परिवहन विभाग, के बैक खाते में सड़क सुरक्षा निधि के लिए ₹ 7.43 करोड़ तथा परिवहन अवसंरचना निधि के लिए ₹ 2.00 करोड़ स्थानांतरित किया है। हांलाकि, धन का स्थानांतरण वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य शीर्ष 2041 में उसी सार्वजनिक खाते में क्रेडिट प्रदान करने के प्रावधानों के विरूद्ध राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया गया है । फलस्वरूप, सरकार ने इन निधियों का कोई निवेश नहीं किया है।

(x) उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे की विवरणी 21 उचंत और प्रेषण के अन्तर्गत शुद्ध शेष दर्शाती है । इन शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाये गए शेष अन्तिम लेखा शीर्षों में जमा नहीं किए गए । इन शीर्षो के अधीन बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत पड़े बकाया डेबिट एवं क्रेडिट शेषों को समग्र रूप से लेकर की जाती है ।

पिछले तीन वर्षो के लिए उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति को **अनुबन्ध- घ** में दर्शाया गया है ।

(xi) आकस्मिकता निधि

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ का कॉर्पस है। वर्ष 2019-20 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई भी व्यय नही किया गया है ।

(xii) आहरण व संवितरण अधिकारियों के बचत बैंक खातों में धन की पार्किंग

हिमाचल प्रदेश खजाना नियम 183(3)(v) के अनुसार, जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो, राजकोष से कोई पैसा निकाला नहीं जाएगा । नियम 184(1) कहता है कि धन निकालना और उन्हें रोकड़ कोष या बैंक में जमा करना एक गम्भीर अनियमितता है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान केवल स्वीकृति के आदेशों के आधार पर राज्य सरकार/आहरण व संवितरण अधिकारी ने ₹ 1,373.77 करोड़ की राशि (नमूना जाँच के आधार पर परीक्षण) राजकोष से निकाली और आहरण व संवितरण अधिकारी के बैंक खातों में इन राशियों को स्थानातरित कर दिया तथा मौजूदा खजाना नियमों के उल्लंघन में सरकारी लेखों के बाहर रखा । राज्य सरकार ने वास्तविक खर्च हुए बिना राज्य विधान सभा द्वारा बनाये गये बजट प्रावधानों के विरूद्ध इन राशियों को व्यय के रूप में माना ।

व्यय के प्रमाण के रूप में वाउचरों और अन्य दस्तावेजों को न देने के कारण ₹ 1,373.77 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 1,202.25 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 171.52 करोड़) की सम्पूर्ण राशि को प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) की पुस्तको में 'उचन्त' के अधीन स्थगन में रखी गयी है । इस प्रकार वित्त लेखें में कथित राशि को राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में और विनियोजन लेखें में वर्ष 2019-20 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वास्तविक खर्चे के रूप में नहीं लिया गया है । उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार स्थिति **अनुबंध-ङ** में दी गयी है ।

(xiii) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को स्थानांतरित निधि

भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या को उनके बेहतर आजीविका को सुरक्षित करने की सहायता के लिए उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण और ज्ञान के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (जुलाई 2015) का शुभारम्भ किया । यह योजना राज्य में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से लागू की गयी है ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 2230- श्रम व रोजगार के अधीन सहायता अनुदान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को ₹ 88.26 करोड़ राशि की निधि प्रदान की । उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा संबंधित वाऊचर/उप वाऊचर के अभाव में प्रधान महालेखाकार के अभिलेख अनुदान उपयोग का पता लगाने में सहज नहीं है ।

(xiv) व्यय की अधिकताः मुख्यशीर्ष 2040

मुख्य शीर्ष 2040 "बिक्री, व्यापार आदि के करों पर व्यय" में शामिल सहायता अनुदान की राशि ₹ 15.90 करोड़ में से गऊ वंश संवर्धन बोर्ड (पशुपालन विभाग) को ₹ 7.95 करोड़ और रोगी वाहन (एम्बुलेंस) सेवा (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के लिए ₹ 7.95 करोड़ का भुगतान किया जो करों पर व्यय से सम्बधिंत नहीं थे और इस प्रकार यह व्यय का गलत वर्गीकरण है । इसलिए, इस सीमा तक मुख्य शीर्ष 2040 के अधीन राजस्व व्यय अधिक और क्रमशः मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन और मुख्य शीर्ष 2211 परिवार कल्याण प्रत्येक के अधीन व्यय ₹ 7.95 करोड कम है । तथापि, कुल राजस्व व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(xv) स्वायत्तशासी निकायों आदि को निधियों का अंतरणः राज्य सरकार, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्तशासी निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियां उपलब्ध कराती है । चूंकि निधियां सामान्यतया कार्यान्वयन एजैंसियों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण खर्च नहीं की जाती है, अनुपयोजित शेष इन कार्यान्वयन एजैंसियों के बैंक खाते में पड़ा रहता है । कार्यान्वयन एजैंसियों के लेखों में सरकारी खातों (बैंक खाते में) से बाहर रहे अनुपयोजित शेष की कुल राशि सहज ज्ञात नहीं की जा सकती है । वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने स्वायत्त निकायो, सहकारी समितियों तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान के रूप में ₹ 805.49 करोड़ जारी किये । इन अनुदानों का विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट -III में उपलब्ध है ।

(xvi) राज्य की कार्यान्वयन एजैंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के अलावा दी गईं निधियां)

भारत सरकार के 1 अप्रैल 2014 के निर्णयानुसार सभी सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) कार्यान्वयन एजैंसियों को जारी न करके सीधे राज्य सरकार को जारी की जानी चाहिये, तत्पश्चात भी कार्यान्वयन एजैंसियों को वर्ष 2019-20 में ठोस निधि सीधे अन्तरित की गई ।

महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयन एजैंसियों को भारत सरकार द्वारा ₹ 1,372.69 करोड़ जारी किये, विवरण परिशिष्ट-6 में उपलब्ध है।

कार्यान्वयन एजैंसियों को सीधे अन्तरण में वर्ष 2018-19 (₹ 962.08 करोड़) की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 42.68 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है ।

(xvii) उज्जवल डिस्कांम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों को पुनरूत्थान पैकेज देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण दाता बैकों को ₹ 2,890.50 करोड़ (30 सितम्बर 2015 को बकाया राशि का 75 प्रतिशत) के बाँड़ जारी करके डिस्कॉम ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त किया । उपर्युक्त राशि मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं को ऋण के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में वितरित की गई । राज्य सरकार ने बाँड़ धारकों को ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ दिये और वर्ष 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य ने बिजली बोर्ड से ₹ 113.89 करोड़ वसूल किए ।

(xviii) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम./एम.टी.एफ.पी.) अधिनियम

बढते राजस्व घाटे और ऋण प्रबंधन इत्यादि को कम करने के लिए विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा. उ. ब. प्र.) (एफ. आर. बी. एम.

अधिनियम 2005) लागू किया ।

अब तक विभिन्न मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकार की उपलब्धियां निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	मापदंड	लेखों के अनुसार उपलब्धियां
1.	वितिय वर्ष 2011-2012 तक राजस्व घाटा समाप्त करना और तत्पश्चात राजस्व आधिक्य बनाये रखना ।	लेखों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 2019-20 में ₹ 11.98 करोड़ राजस्व आधिक्य था।
2.	वितिय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* या कम करना और तत्पश्चात राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के अनुसार तीन *प्रतिशत* या कम पर बनाये रखना ।	लेखों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 2019-20 में ₹ 5,597.06 करोड़ राजकोषीय घाटा था, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 3.38 *प्रतिशत* था।
3.	दीर्घ अवधि के ऋणों पर बकाया जोखिम भारित गारन्टीज गत वितिय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से कम होनी चाहिए ।	31 मार्च 2020 के अंत मे दीर्घ अवधि के ऋण की बकाया गारन्टीज (राज्य सरकार द्वारा अनुमानित) गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 6.29 *प्रतिशत* थी, जो कि निर्धारित लक्ष्य 40 *प्रतिशत* के अनुरूप थी।

*टिप्पणीः- सकल राज्य घरेलु उत्पाद-सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (**₹ 1,65,472** करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये, क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के वेवसाइट पर उपलब्ध नहीं थे ।*

(xix) देय देनदारियाँ

राज्य सरकार ने भविष्य में देय देनदारियों के विषय में कोई जानकारी प्रदान नहीं की थी । अतः इसलिए इसे लेखे में समावेश नहीं किया जा रहा है ।

(xx) राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पिछले अनुच्छेदों में दिये गये विवरण का राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को नीचे दर्शाया गया हैः- **(₹ करोड़ में)**

क्रम संख्या	मदें	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3(vii) (ग) (i)	एस.डी.आर.एफ. के बकाया पर ब्याज न देना ।	0.07	--	--	0.07
	कुल प्रभाव	**0.07**	**--**	**--**	**0.07**

टिप्पणीः संदर्भ पैरा 3(xii)- 2019-20 के दौरान ₹ 1,373.77 करोड़ (नमूना जांच के आधार पर आधारित आंकडा) को राजस्व व्यय (₹ 1,202.25 करोड़) तथा पूंजीगत व्यय (₹ 1,71.52 करोड़) के रूप में लेने के स्थान पर 'उच्चंत' के तहत रखा गया है ।

अनुबन्ध-क

(I). आवधिक समायोजनः

लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 1(ii) व 3(vii) के संदर्भ में

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8121 नामे	2245 (-)नामे	...	यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है । यद्यपि, इसे लेखे में 'उचन्त' आपति पुस्तिका मुख्य शीर्ष 8658-102 के अधीन रखा गया ।
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8121 जमा	225.93	यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को किए गए अन्तरण को दर्शाता है ।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8235 नामे	2245 (-)नामे	...	यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है । यद्यपि, इसे लेखे में 'उचन्त' आपति पुस्तिका मुख्य शीर्ष 8658-102 के अधीन रखा गया।
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8235 जमा	518.06	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को किए गए अन्तरण को दर्शाता है ।
5.	जी.पी.एफ. पर ब्याज ।	2049 नामे	8009 जमा	1,147.87	वर्ष के अन्त में जी.पी.एफ. शेषों पर अर्जित ब्याज का समायोजन ।
6.	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना के शेषों पर ब्याज ।	2049 नामे	8011 जमा	15.16	राज्य सरकार कर्मचारी बीमा योजना पर अर्जित ब्याज का समायोजन ।

(II) बुक समायोजनः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि का अंशदानं/वसूली	2014	8009	36.26	...
2.	-तदैव-	2029	8009	31.94	...
3.	-तदैव-	2053	8009	32.94	...
4.	-तदैव-	2055	8009	213.07	...
5.	-तदैव-	2059	8009	55.52	...
6.	-तदैव-	2202	8009	1,213.83	...
7.	-तदैव-	2210	8009	238.98	...
8.	-तदैव-	2211	8009	39.73	...
9.	-तदैव-	2215	8009	120.81	...
10.	-तदैव-	2401	8009	37.57	...
11.	-तदैव-	2403	8009	55.88	...
12.	-तदैव-	2406	8009	64.06	...
13.	-तदैव-	2515	8009	29.44	...
14.	-तदैव-	2702	8009	62.34	...
15.	-तदैव-	3054	8009	233.32	...
16.	-तदैव-	अन्य	8009	173.96	...
		जोड़		**2,639.65**	

(III) अन्य समायोजनः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष को अन्तरण	8443 (-)जमा	0075 जमा	1.36	राजस्व शीर्ष को अन्तरित व्यपगत जमा
2.	राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष को अन्तरण	6004 (-)जमा	0075 जमा	1.19	13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों की अदायगी का समायोजन
3.	राजस्व प्राप्तियाँ शीर्ष को अन्तरण	8448 (-)जमा	0075 जमा	0.09	पिछले वर्ष के गलत वर्गीकरण का समायोजन

अनुबन्ध- ख

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2(vii) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत प्राप्तियों की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	कुल प्राप्तियां	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
01	0057	आपूर्ति एवं निपटान	0.03	0.03	100
02	0217	शहरी विकास	6.62	6.62	100
03	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	0.02	0.02	100
04	0407	पौधारोपण	0.01	0.01	100
05	0408	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार	0.03	0.03	100
06	0575	अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.11	0.11	100
07	0801	विद्युत	1,021.68	1,021.68	100
08	1055	सड़क परिवहन	0.64	0.64	100
09	1425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.21	0.21	100
10	1456	सिविल आपूर्ति	2.08	2.08	100
11	4000	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.04	2.04	100
12	1452	पर्यटन	5.89	5.75	97.54
13	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	38.79	36.73	94.68
14	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	1.89	1.59	83.92

अनुबन्ध- ख- समाप्त

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2(vii) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां के अन्तर्गत प्राप्तियों की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	कुल प्राप्तियां	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	प्रतिशतता
15	0401	कृषि कर्म	8.48	5.94	70.09
16	0045	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	312.10	210.37	67.40
17	0425	सहकारिता	6.84	4.35	63.49
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.51	2.22	63.45
19	1475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	13.36	8.59	64.30
20	0075	विविध सामान्य सेवायें	5.17	2.80	54.16
21	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	49.65	26.87	54.11
22	0403	पशु-पालन	0.98	0.53	54.08
23	0230	श्रम तथा रोजगार	7.80	4.08	52.30
24	0029	भू-राजस्व	4.79	2.40	50.05
25	0056	कारागार	0.23	0.11	47.07
26	1054	सड़कें तथा पुल	12.44	4.81	38.65
27	0059	लोक निर्माण कार्य	53.51	16.47	30.79
28	0049	ब्याज प्राप्तियां	245.36	61.51	25.07

अनुबन्ध- ग

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2(vii) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	कुल व्यय	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	प्रतिशतता
01	2043	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	0.37	0.37	100
02	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9.07	9.07	100
03	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	137.69	137.63	99.96
04	2075	विविध सामान्य सेवायें	23.89	23.65	99.01
05	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	33.69	33.05	98.10
06	2407	बागान	1.28	1.23	96.09
07	4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	309.64	94.78
08	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.91	12.91	81.14
09	4851	ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	29.95	22.08	73.71

अनुबन्ध- ग - समाप्त

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 2(vii) के संदर्भ में)

लघुशीर्ष 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	कुल व्यय	लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	प्रतिशतता
10	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	85.00	55.00	64.70
11	2852	उद्योग	11.59	7.19	62.04
12	4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	12.02	6.73	56.06
13	2230	श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास	270.22	128.52	47.56
14	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.64	2.76	41.58
15	2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	125.95	31.81	25.25

अनुबन्ध- घ

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(x) के संदर्भ में)

उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
8658- उचंत लेखे	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	86.03	36.55	96.21	35.55	124.62	56.33
शुद्ध	49.48 नामे		60.66 नामे		68.29 नामे	
102-उचंत लेखा (सिविल)	171.47	164.12	149.77	131.53	1,551.08	164.34
शुद्ध	7.35 नामे		18.24 नामे		1,386.74 नामे	
110-रिजर्ब बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.03	0.03	0.57	---	3,755.23	3,755.23
शुद्ध	-शून्य-		0.57 नामे		-शून्य-	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	400.08	453.76	484.05	497.09	447.74	468.23
शुद्ध	14.87 जमा		53.68 जमा		13.04 जमा	
129-सामग्री खरीद समायोजन उचंत लेखा	175.64	399.29	270.59	347.59	164.43	305.64
शुद्ध	77.00 जमा		141.21 जमा		104.38 जमा	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन						
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	6,668.66	7,037.44	7,185.44	7,660.51	7,507.51	8,104.89
शुद्ध	368.78 जमा		475.07 जमा		597.38 जमा	
103- वन प्रेषण	120.04	151.49	151.59	187.49	124.72	141.58
शुद्ध	31.45 जमा		35.90 जमा		16.86 जमा	

अनुबन्ध- ङ

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाऊचर माह	राशि	कुल राशि
1	2013	05/2019	1.31	
		02/2019	0.11	
		03/2020	0.16	1.58
2	2015	03/2020	8.65	8.65
3	2029	06/2019	0.38	0.38
4	2041	07/2019	7.44	
		03/2020	2.00	9.44
5	2053	02/2020	2.26	
		03/2020	6.10	8.36
6	2055	03/2020	0.44	0.44
7	2070	08/2019	2.63	
		09/2019	0.10	
		10/2019	0.51	
		11/2019	0.10	
		12/2019	0.10	
		01/2020	0.10	
		02/2020	3.86	
		03/2020	0.10	7.50
8	2075	07/2019	0.40	
		03/2020	5.82	6.22
9	2202	10/2019	10.00	
		02/2020	1.67	
		03/2020	78.18	89.85

अनुबन्ध- ङ -क्रमशः

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाउचर माह	राशि	कुल राशि
10	2205	06/2019	0.08	
		07/2019	0.48	
		08/2019	0.17	
		09/2019	0.21	
		10/2019	0.26	
		11/2019	0.10	
		12/2019	3.06	
		01/2020	0.54	
		02/2020	0.05	
		03/2020	0.08	5.03
11	2210	03/2020	5.15	5.15
12	2215	05/2019	5.87	
		07/2019	4.68	
		08/2019	2.69	
		09/2019	3.83	
		11/2019	0.55	
		03/2019	11.00	28.62
13	2216	06/2019	0.26	
		09/2019	0.52	
		10/2019	3.84	
		11/2019	6.13	
		12/2019	0.32	
		01/2019	0.45	
		02/2020	1.80	
		03/2020	3.37	16.69

अनुबन्ध- ङ -क्रमशः

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाऊचर माह	राशि	कुल राशि
14	2217	05/2019	1.57	
		01/2020	4.08	
		03/2020	12.41	18.06
15	2225	12/2019	1.03	
		02/2019	0.20	
		03/2019	30.12	31.35
16	2235	07/2019	0.90	
		08/2019	2.70	3.60
17	2236	03/2020	26.22	26.22
18	2245	04/2019	0.24	
		06/2019	119.90	
		07/2019	23.80	
		08/2019	34.68	
		09/2019	43.77	
		10/2019	41.47	
		11/2019	36.99	
		12/2019	2.57	
		01/2020	42.74	
		02/2020	71.75	
		03/2020	329.41	747.32
19	2401	12/2019	1.37	
		02/2020	2.00	
		03/2020	44.53	47.90
20	2402	03/2020	1.31	1.31
21	2403	03/2020	11.91	11.91

अनुबन्ध- ङ -क्रमशः

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाऊचर माह	राशि	कुल राशि
22	2405	01/2020	0.77	
		02/2020	2.60	
		03/2020	3.40	6.77
23	2501	10/2019	0.43	
		02/2019	0.16	
		03/2020	26.95	27.54
24	2851	08/2019	1.14	
		09/2019	0.15	
		10/2019	1.98	
		11/2019	0.20	
		12/2019	0.16	
		01/2020	2.46	
		02/2020	0.25	
		03/2020	4.03	10.37
25	2852	05/2019	5.00	
		12/2019	3.43	8.43
26	3425	03/2020	0.56	0.56
27	3452	06/2019	30.00	
		10/2019	38.00	
		12/2019	0.11	
		02/2020	0.22	
		03/2020	4.67	73.00
28	4055	01/2020	0.33	
		03/2020	8.46	8.79
29	4059	03/2020	15.05	15.05

अनुबन्ध- ङ - समाप्त

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	वाऊचर माह	राशि	कुल राशि
30	4216	03/2020	1.15	1.15
31	4235	07/2019	0.95	0.95
32	4402	03/2020	1.80	1.80
33	4515	03/2020	4.89	4.89
34	5053	03/2020	5.00	5.00
35	5054	06/2019	2.91	
		07/2019	2.29	
		03/2020	13.59	18.79
36	5055	03/2020	23.04	23.04
37	5452	01/2020	15.00	
		03/2020	8.36	23.36
38	5475	06/2019	1.18	
		07/2019	11.88	
		08/2019	0.59	
		03/2020	55.05	68.70
		कुल जोड़		**1,373.77**

अनुबन्ध- च

(लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(ii) के संदर्भ में)

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

मुख्यशीर्ष 3435मे व्यय राज्य सरकार से प्राप्त बाउचर / सुचना के आधार पर सकंलित

मुख्यशीर्ष	उप मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	उप लघुशीर्ष	उपशीर्ष-विवरण	विस्तृत शीर्ष	व्यय के मानक	व्यय के मानको का विवरण	बजट 2017-18	प्रगामी व्यय 2017-18	बजट 2018-19	प्रगामी व्यय 2018-19	बजट 2019-20	प्रगामी व्यय 2019-20
3435	03	101	03	पौंगबांध के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	…	…	63,22,000	63,22,000	…	…
3435	03	101	03	पौंगबांध के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	…	…	6,32,000	6,32,000	…	…
3435	03	101	04	रेणुका झील के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	44,56,400	44,56,400	…	…	…	…
3435	03	101	04	रेणुका झील के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	5,05,000	5,05,000	…	…	…	…
3435	03	101	05	चंद्र ताल झील के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	10,40,000	10,40,000	…	…	…	…
3435	03	101	05	चंद्र ताल झील के जौहड़ संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	2,60,000	2,60,000	…	…	…	…
3435	03	101	06	रिवालसर वैटलैंड का संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	28,67,000	28,67,000	…	…	12,00,000	12,00,000
3435	03	101	06	रिवालसर वैटलैंड का संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	3,19,000	3,19,000	…	…	1,33,000	1,33,000
3435	03	101	07	खजियार वैटलैंड का संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	48,00,000	48,00,000	…	…	…	…
3435	03	101	07	खजियार वैटलैंड का संरक्षण तथा प्रबन्धन	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	5,33,000	5,33,000	…	…	…	…
3435	03	103	01	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम	00	41	सहायता अनुदान अवेतन	1,000	…	1,000	…	1,000	…
3435	03	103	01	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम	00	41	सहायता अनुदान अवेतन	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	5,00,000	5,00,000
3435	03	103	01	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	7,70,000	7,70,000	9,00,000	9,00,000	9,00,000	9,00,000
3435	03	103	01	पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम	00	42	सहायता अनुदान अवेतन	27,00,000	27,00,000	28,00,000	28,00,000	1,18,00,000	1,18,00,000
							जोड़	**1,85,51,400**	**1,85,50,400**	**1,09,55,000**	**1,09,54,000**	**1,45,34,000**	**1,45,33,000**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

www. aghp.cag.gov.in